

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सेंटर फार साईट ए/31
पी०सी० कोलनी कंकडबाग
बिहाईड ग्रेवीटी माल
नियर ओल्ड तिवारी बेचर
पटना 800020

पटना, दिनांक...

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अशोक कुमार सिंह पिता- रामजी सिंह ग्राम- हरपुरनंद वार्ड 05 पो०- परमानंदपुर थाना- नयागाव जिला- सारण	CATARACT Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) मात्र का क्रास चेक स० 196906... मूल रूप में संलग्न।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के रूप में उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1479(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आईटी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

Samay Hospital (A unit of Glasgow Hospital Pvt. Ltd.)
Saguna More, Khagaul Road,
Patna - 801503

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रविन्द्र राय पिता- रामानुज राय ग्राम+पो0- दाउदपुर थाना- शाहपुर जिला- पटना	ड्रामा ब्रेन सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	सोनू कुमार पिता- रविन्द्र प्रसाद ग्राम+पो0- दाउदपुर थाना- शाहपुर जिला- पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			1,10,000	

नोट :- चेक Glasgow Hospital Pvt. Ltd. के नाम से निर्गत है।

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) मात्र का क्रास चेक सं०.../196205...
... मूल रूप में सलग्न।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करे। प्राक्कलन भी CGHS के दर पर ही निर्गत करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन

१

निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को 10 दिन के अंदर वापस किया जाये।

इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 147214)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
महावीर कैसर सरथान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	सुधा देवी पति-सजय यादव ग्राम-रखहा टोला डुमरिया बिसुनपुर वार्ड 15, पो0-मनसाही थाना-मनसाही जिला-कटिहार ए0एसी0एस-एफ 92166	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अवधेश साह पिता-योधा दास ग्राम-शिवरापुर धमका टोला पो0-शिवराजपुर थाना-नौतन जिला- प0 चम्पारण ए0एसी0एस-एफ 94377	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सुभाष प्रसाद भदानी पिता-चद्र राम ग्राम-माहुरी टोला रजौली पो0 रजौली थाना-रजौली जिला-नवादा ए0एसी0एस-एफ 87206	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	अनिता देवी पति-मोती लाल यादव ग्राम-परसन बीघा पो0-तोप थाना शाहजहापुर जिला पटना ए0एसी0एस-एफ 84910	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	कौशल कुमार पिता-पलट यादव ग्राम-पहाडपुर कुमर टोला पो0-भदी, थाना-पस्तपार जिला-सहरसा एम0सी0एस- एफ 93879	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	धर्मशीला देवी पति-जंगी सिंह ग्राम+पो0-किजर थाना-किजर जिला-अरवल एम0सी0एस-एफ 92643	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	प्रमोद कुमार पिता-राजेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम+पो0-कुतुबपुर थाना-बिदुपुर जिला-वैशाली एम0सी0एस- एफ 94414	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	आशा देवी पति-अनुप कुमार सहनी ग्राम-कागजी टोला वार्ड 08 पोस्ट+थाना-कहलगाव जिला-भागलपुर एम0सी0एस- एफ 93341	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	निशात कुमार पिता-नवीन साह ग्राम-नयागज टोला पो0-गजपर थाना-देसरी जिला-वैशाली एम0सी0एस- एफ 94706	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	शकुतला देवी पति-अनुज यादव ग्राम-तीमापुर लगर पो0-लगर थाना-परवता जिला खगडिया एम0सी0एस- एफ 88985	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	शैतुन खातुन पति-जीतन गदी ग्राम-सवरेजी पो0-मीरगज थाना-मीरगज जिला-गोपालगज एम0सी0एस-ई0 93336	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	मो0 साबिर पिता-अब्दुल हाफिज ग्राम-पिलखाना रोड पो0+थाना-किशनगज जिला-किशनगज एम0सी0एस-एफ 94478	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	लालमुनी देवी पति-भोला प्रसाद साह ग्राम-बाजीतपुर पो-कोडरिया पताही थाना-बीजीपुर जिला-मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-ई0 6278	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
14	उषा देवी पति-गणेश कुमार ग्राम+पो0-लगुनीया सुरजकठ थाना-मुफसिल जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 72695	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
15	नीतीश कुमार पिता-विजय सिंह ग्राम-हथिला पोस्ट-कराय पर सुराय थाना-कराय पर सुराय जिला-नालदा एम0सी0एस-एफ 64130	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	दिनेश राय पिता-राम स्वरूप राय ग्राम-कालादियारा पो0-सालिमपुर थाना-सालिमुपर जिल-पटना एम0सी0एस-एफ 93917	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	गीता देवी पति-जालो महतो ग्राम+पो0-फुल मलिक थाना-साहेबपुर कमाल जिला-बेगुसराय एम0सी0एस- एफ 93657	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	नीतु देवी पति-श्याम सुन्दर सिंह ग्राम+पो0-घोषरामा थाना-हायाघाट जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 88683	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	अखिलेश्वर प्रसाद पिता-लक्ष्मण साह ग्राम-अहिरौलीया पो0-लगुनहॉ थाना-चौतरवा जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 90438	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

20	चिन्ता देवी पति-शिवनाथ राय ग्राम-खोडीपाकर भुईगाव पो0-बसत थाना-गरखा जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 93345	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	श्याम सुन्दर प्रसाद पिता-गुरुसहाय महतो ग्राम-राजा कुआँ पो0-बिहार शरीफ थाना-बिहार शरीफ जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 92532	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	मो0 हबीब पिता-मो0 हुसैन ग्राम-मोरवा बाजार पो0-मोरवा थाना-ताजपुर जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 90563	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	भोला गोस्वामी पिता-स्व0 काशो गोस्वामी ग्राम-प्रतापगज वैसा गोबिद बासगरहा पोस्ट-कटिहार थाना-नगर जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 94427	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	गौतम मेहतर पिता-स्व0 रजीत मेहतर ग्राम-मिलिक जोरारी पो0-मुसकीपुर थाना तरारपुर जिला मुगेर एम0सी0एस-एफ 94741	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	मो शमशेर पिता-मो0 मुस्लिम ग्राम-बौखरा वार्ड 06 पो0-प्रसडो थाना हवेली खडगपुर जिला मुगेर एम0सी0एस-एफ 23626	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
26	चुनु राम पिता-सिया शरण राम ग्राम+पो0-कोहाव थाना-दनियावा जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 86041	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

27	मुन्नी पति-हैदर आलम ग्राम-मियापुर पो-कुजरिहात थाना-पलासी जिला अररिया एम0सी0एस-एफ 93285	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	फरीदा खातुन पति-मुस्तकीम कुरैशी ग्राम-कुरैशी मोहल्ला पो0-औरगाबाद थाना टाउन जिला औरगाबाद एम0सी0एस-एफ 94391	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	रिकु देवी पति-प्रमोद मडल ग्राम-राज नगर लाईन बाजार पूर्णिया पो-पूर्णिया थाना-के0 हाट, जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 94358	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	धनेश्वर प्रसाद सिंह पिता-रामदेव सिंह ग्राम-महिनाथपुर पो0-सिसिया थाना-कोढा जिला-कटिहार एम0सी0एस-ई0 32060	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	शहनाज बेगम पति-सलाउद्दीन ग्राम+पो0-गौरा थाना-बहोरनपुर जिला भोजपुर एम0सी0एस-एफ 94957	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	बबली खातुन पति-ईद मुबारक खान ग्राम-बुधवलिया मगलपुर पो0-तेलुआ थाना-नौतन जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 87874	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
33	देवकी देवी पति-रामजी राउत ग्राम+पो0-मानिक चौक थाना-सैदपुर जिला सीतामढी एम0सी0एस-एफ 83820	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

34	सलामत अंसारी पिता-ग्यासुद्दीन अंसारी ग्राम-कुर्सी बरवा पो0-कुर्सी बरवा थाना-सिकटा जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 94937	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	रेणु देवी पति-दयानन्द ईश्वर ग्राम-हरि प्रसाद पो0-मरई थाना-जन्दाहा जिला वैशाली एमसीएस न0- एफ 93511	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	सुगन बीबी पति-नजरूल अंसारी ग्राम-जमालिक पो0-सोनहो थाना-परसा जिला-सारण एमसीएस नं0-एफ 93840	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	अजली कुमारी पिता-राजेश शर्मा ग्राम-लूरी दास टोला पो0 ढोलबज्जा थाना-ढोलबज्जा जिला-भागलपुर एम0सी0एस- एफ 84531	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	मजु देवी पति-साधु सिंह ग्राम-गोडिहा पो0-धवल बिगहा थाना-हुलासगज जिला-जहानाबाद एम0सी0एस- एफ 90542	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	सियामणी देवी पति-कपिल सिंह ग्राम-मिर्जा बिगहा पो0-मखदूमाबाद थाना-परासी जिला अरवल एम0सीएस-एफ 91714	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
40	चचला देवी पति-अशोक प्रसाद ग्राम-भलुहीपुर छजनगज पो0-आरा थाना-टाउन जिला भोजपुर एम0सीएस-एफ 83231	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

41	अमिला खातुन पति-मो० सलाउदीन ग्राम-भेनौरा वार्ड 13 पो०-डिहरा थाना-अमहरा जिला-लखीसराय एम०सीएस-एफ 94238	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	आयुष कुमार पिता-नरविदेश प्रसाद ग्राम-सुगिया वार्ड 05 पो०-चरुअवाँ थाना-शेखोपुर सराय जिला-शेखपुरा एम०सीएस-एफ 92383	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	देवन्ती देवी पति-नागेश्वर पासवान ग्राम-पुरवा पो०-चन्द्रालय थाना-हाजीपुर सदर जिला-वैशाली एम०सीएस-एफ 90232	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	दिनेश्वर प्रसाद यादव पिता-नाटो यादव ग्राम-हरिणमार पो०-हरिणमार थाना-हरिनगर जिला-मुगेर एम०सीएस-एफ 89189	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	आयुष राज पिता-रविशंकर पासवान ग्राम-हुडरा कला पो०-नवहट्टा थाना-बेलाव जिला-कैमुर भभुआ एम०सीएस-एफ 94244	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	अलगु भगत पिता-ढोढा भगत ग्राम-सुकुलवा कला पो०-सुकुलवा खुर्द थाना-जिला गोपालगंज एम०सीएस-एफ 88485	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
47	मिथलेश या अमन कुमार पिता-योगेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम+पो०-महदीपुर थाना-पसराहा जिला-खगडिया एम०सीएस-डी० 93797	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

48	सीता देवी पति-स्व० मदन मोहन मिश्रा ग्राम-तिलकचक पो०+थाना-महुआ जिला वैशाली एम०सीएस-एफ 86771	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	सत्य नारायण सिंह पिता-स्व० बालदेव सिंह ग्राम-भोपतपुर पो०-भोपतपुर थाना-कोटवा जिला पूर्वी चम्पारण एम०सीएस-एफ 86755	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	अब्दुल जीशान कादरी पिता-अब्दुल जहागीर ग्राम-टेकनारी पो०-रमौली थाना पातेपुर जिला वैशाली एम०सीएस-एफ 79330	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	फुदरी देवी पति-छतीस ताती ग्राम+पो०-सकरामा थाना-सन्हौला जिला भागलपुर एम०सीएस-एफ 93662	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	अशोक कुमार रजक पिता-काली रजक ग्राम-गेवाल बीघा पो०-हेड पोस्ट आफिस थाना-रामपुर जिला-गया एम०सीएस-एफ 91668	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	सुनीता देवी पति-भुषण यादव ग्राम-फतेहली पो०-तुगी थाना-दीप नगर जिला नालदा एम०सीएस-एफ 94019	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	इन्दल पासवान पिता-अर्जुन पासवान ग्राम-मुशहरी चादसी पो०+थाना-नुरसराय जिला नालदा एम०सीएस-एफ 93645	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

55	सान्वी कुमारी पिता-विराट सिंह ग्राम-मीठहान पो0-दल्लीपुर थाना-धनगाई जिला-भोजपुर एम0सीएस-एफ 94745	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	मो0 बसीम पिता-मो0 मुस्तफा ग्राम-नागदेही टोला पो0-बेलवा थाना-मुफसिल जिला- पूर्णिया एमसी0एस-एफ 84094	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
57	बबली देवी पति-छोटकन दास ग्राम-रामफल साह टोला वार्ड 02, पोस्ट+थाना-सहरसा जिला- सहरसा एम0सी0एस-एफ 94280	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	इन्द्रेदेव दास पिता-देवन दास ग्राम-कुर्था डीह पो0-कुर्था बाजार थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 77431	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	सजय कुमार पिता-स्व0 कमलेश्वरी यादव ग्राम-परसाहा पोस्ट-टेमाभेला थाना-ग्वालपाडा जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-एफ 92600	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	आबदा खातुन पति-मोईनुद्दीन असारि ग्राम-काजीपुरा पो0+थाना-लहेरिया सराय जिला दरभंगा एम0सी0एस-डी0 12121	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
61	सुमत्रा देवी पति-महेन्द्र साह ग्राम-धरहरा पो0+थाना-धरहरा जिला-मुगेर एम0सी0एस-एफ 811212	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

62	सुरेन्द्र राय पिता— प्रसादी राय ग्राम—मधुबन पोस्ट+थाना—खानपुर जिला—समस्तीपुर एम0सी0एस—एफ 93740	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	कालिया देवी पति—विजय राउत ग्राम—पचेतन पोस्ट+थाना—अस्थावा जिला नालदा एम0सी0एस—एफ 94032	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	उषा देवी पति—उदय यादव ग्राम—कुमरडीह पो0—सरेन थाना—मखदुमपुर जिला जहानाबाद एम0सी0एस—एफ 91294	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	इसराफील हवारी पिता खोखा हवारी ग्राम—लवहट्टा पोस्ट—परोरिया थाना—वारिस नगर जिला—समस्तीपुर एम0सी0एस—एफ 93701	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	नागेश्वर मडल पिता—बैजनाथ मडल ग्राम+पो0—दुर्गापुर थाना—पुरैनी जिला—मधेपुरा एम0सी0एस—एफ 87686	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	मीनु देवी पति शेखर सिंह ग्राम—सुखासन कोठी पो0—लोकही थाना बी0 कोठी जिला पूर्णिया एम0सी0एस—एफ 91972	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
68	चन्द्र भुषण कुमार पिता—स्व0 मुरली मनोहर प्र0 सिंह ग्राम—बिन्द कोठी के सामने पुराना सलेहपुर लॉज नाला रोड लगर टोली पो0—बाकीपुर थाना—कदमकुंआ जिला—पटना एम0सी0एस—एफ 94279	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

69	रिहाना खातुन पति-रउफ आलम ग्राम-रघुनाथपुर पो0-रजोखर थाना-रानीगज जिला अररिया एम0सी0एस-एफ 93250	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	ललिया देवी पति-महेन्द्र चौधरी ग्राम+पो0-चेवारा थाना चेवारा जिला शेखपुरा एम0सी0एस-एफ 94088	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	बबीता देवी पति-पकज कुमार सिंह ग्राम+पो0-कटरिया थाना-अगियोव बाजार जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 93681	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	कबुतरी देवी पति-श्याम नदन महतो ग्राम-रामपुर बख्तौर पोस्ट-गौरौल थाना-गौरौल जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 86364	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	कमलेश पासवान पिता-स्व0 झपसी पासवान ग्राम-नाथन बुजुर्ग पो0-नाथन थाना-हाजीपुर सदर जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 82851	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	शकुन्तला देवी पति-भरत ठाकुर ग्राम+पो0-मणिभकुरहर थाना-सराय जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 92831	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
75	आयान अली पिता-मो0 अली असारी ग्राम-मौला बाग राजा कोलनी पो0-फुलवारीशरीफ थाना-फुलवारी जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 93177	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

76	मनोरमा देवी पति-उमेश सिंह ग्राम-किचनी पो0+थाना हरनौत जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 93677	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	मो0 कमरूल पिता-कुरबान आलम ग्राम-काजलेटा पो0-बडा थाना-जोकीहाट जिला अररिया एम0सी0एस-एफ 94375	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	मोरिदन खातुन पति-साबीर अली ग्राम मठिया हाता पो0-मतेया खास थाना-कुचाय कोट जिला गोपालगज एम0सी0एस-एफ 93103	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	कचन देवी पति-पकज कुमार ग्राम-पो0-कोचागाव थाना-वारसलीगज जिला-नवादा एम0सीएस-एफ 78777	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	राम प्रवेश सहनी पितज्ञ बुल्ली सहनी ग्राम-हरिवशपुर पो0-वारिसपुर थाना-भगवानपुर जिला वैशाली एम0सीएस-एफ 88610	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	आरिफ पिता-मुसलिम ग्राम-चादभाग वार्ड 6 पो0-मदनपुर थाना-मदनपुर ओ0पी0 जिला-अररिया एम0सीएस-एफ 91026	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
82	चन्द्रिका देवी पति-अनिल कुमार विश्वास ग्राम-पूरब बाजार कालेज गेट वार्ड 31 पोस्ट-सहरसा थाना+जिला-सहरसा एम0सीएस-एफ 78695	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

83	अनिता देवी पति-स्व० राजीव रजन सिंह ग्राम-वार्ड 01 धरहरा पो०-डाहा थाना-बरहट जिला-जमुई एम०सीएस-एफ 75104	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
84	फुलझरी देवी पति-बालेश्वर राय ग्राम-रहिमपुर पो०-रसुलपुर थाना-अमनौर जिला सारण एम०सीएस-एफ 85534	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	नागेश्वर सिंह पिता-जग बहादुर सिंह ग्राम-झाखरा पो०-सलहा थाना-गोविन्दगज जिला-पूर्वी चम्पारण एम०सीएस-एफ 94891	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	लक्ष्मी कुमारी पिता-राम विलास भगत ग्राम-सरहनचिया पो०-सरहनचिया थाना औराई जिला-मुजफ्फरपुर एम०सीएस-एफ 93672	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	प्रमिला देवी पति-विशुन सिंह ग्राम-मिर्जा नगर पो०-मिर्जा नगर थाना-महुआ जिला वैशाली एम०सीएस-एफ 90749	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	चिन्ता देवी पति-भोला पंडित ग्राम-मनिचक मसौडी पो०+थाना-मसौडी जिला-पटना एम०सीएस-एफ 48754	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
89	ममता देवी पति-सतीश कुमार ग्राम-जगतपुर पो०-तेलमर थाना-हरनौत जिला-नालदा एम०सीएस-एफ 93836	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

90	आरती देवी पति-शोभी मंडल ग्राम+पो0-ममलखा थाना-सबौर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 94178	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	पिकु कुमार रविदास पिता- राजेन्द्र रविदास ग्राम+पो0-भ्रमपुर थाना-बिहपुर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 92894	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	सजीव कुमार पिता-मिथुन पासवान ग्राम-चादपुरा नन्हकार वार्ड 7 पो0-चादपुरा नन्हकार थाना-देसरी जिला वैशाली एम0सी0एस-एफ 87416	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
93	राधा देवी पति-स्व0 चदन मंडल ग्राम-ढागर पो0-मदनपुर थाना-परसौनी जिला-सीतामढी एम0सी0एस-ई0 67334	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	उषा देवी पति-सुरण महतो ग्राम-डरहि पो0-भाडास थाना+जिला-खगडिया एम0सी0एस-एफ 75758	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
95	रितिक राज पिता-कमलेश कुमार ग्राम-नीमी पो0-गौरी पन्दह थाना-दनियावा जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 7229	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
96	रीता देवी पति-रामाशीष गोसाई ग्राम+पो0-जिगना थाना-सिकरौल जिला-बक्सर एम0सी0एस-एफ 90201	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

97	समलोला देवी पति-उपेन्द्र यादव ग्राम-पौराम पो0+थाना-हायाघाट जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 61876	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
98	अनिता देवी पति-स्व0 शम्भु मिस्त्री ग्राम-मरकट्टा पो0-अमारी थाना+जिला-जमुई एम0सी0एस-एफ 60438	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
99	नीलु देवी पति-सनोज मेहता ग्राम+पोस्ट-भीमपुर थाना-भीमपुर जिला-सुपौल एम0सी0एस-एफ 94260	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	अनिल कुमार सिंह पिता-स्व0 मनोहर सिंह ग्राम-रतनपुर पो0-मदारगज थाना-अमडडा जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 68022	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
101	सजय कुमार पिता-स्व0 मिश्री लाल यादव ग्राम+पो0-पटुहारा थाना-सहरसा जिला-सहरसा एम0सी0एस-एफ 93272	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	आशुतोष कुमार टुडु पिता-राज कुमार टुडु ग्राम-सिधिया नया नगर पो0-सिधिया थाना-के0 नगर जिला पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 94976	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
103	बिपिन कुमार महतो पिता-स्व0 राम चन्द्र महतो ग्राम बाकरगज पोस्ट+थाना-लहेरिया सराय जिला-दरभंगा एम0सी0एस-एफ 95044	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

104	रजन कुमार यादव पिता-सावितलाल प्रसाद ग्राम-गोपालपुर चक फैजुल्लाह पो0-गोपालपुर थाना-उदाकिशुनगज जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-एफ 94192	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	तारनी प्रसाद पिता-स्व0 धनेश्वर महतो ग्राम-पुनाडीह पो0+थाना-कजरा जिला-लखीसराय एमसी0एस-एफ 94200	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	मीना देवी पति-भागीरथ मॉझी ग्राम-महम्मदपुर जदी पो0-महम्मदपुर निलामी थाना-बरौली जिला-गोपालगज एमसी0एस-एफ 72780	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
107	अरविन्द कुमार पिता-स्व0 बिरेन्द्र कुमार चौधरी ग्राम-जदुआ बरई टोला पो0-हाजीपुर थाना-औद्योगिक जिला-वैशाली एमसी0एस-डी 2146	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
108	पार्वती देवी पति-शिवजी महतो ग्राम-चान्दपुर पो0-जलालपुर थाना-जी0वी0 नगर जिला-सीवान एमसी0एस-एफ 6637	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
109	सावुज देवी पिता- डमबर चौहान ग्राम+पो0- फरपर थाना- अरियरी जिला- शेखपुरा एमसीएस न0- एफ 92740	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
110	मास्टर सावन कुमार पिता- चन्दन पजियार ग्राम+पो0- अररिया थाना- कन्हौली जिला- सीतामढी एमसीएस न0- एफ 91008	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
111	सीता देवी पति- नीलकमल पासवान ग्राम+पो0+थाना- औगारी जिला- नालदा एमसीएस न0- एफ 84000	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

112	बटी कुमारी पिता— दिनेश यादव ग्राम+पो0— कोरियापट्टी थाना— जदिया जिला— सुपौल एमसीएस न0— एफ 94903	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			83,70,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 83,70,000/- (तेरासी लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196907... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम—'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रायुक्त राशि को खाता धारक का नाम—'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष', खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1450(14)

पटना, दिनांक

30/5/25

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक ...

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	फरहत फातमा पिता— सैयद अली अमीर नकवी ग्राम— मोहल्ला कमरा बनारस बैंक चौक वा र्ड 16 पो०— प्रधान डाकघर थाना— नगर जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न०— 108112501017832	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	राम सोहाग राय पिता— स्व० बौजन राय ग्राम— कामोपुर पो०— हनसोपुर थाना— खानपुर जिला— समस्तीपुर सीआर न०— 108112402939451	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	बबिता देवी पति— श्रीबाबू सिंह त्यागी ग्राम— राजीव नगर रौड 26 वार्ड 06 पो०— केशरी नगर थाना— राजीव नगर जिला— पटना सीआर न०— 108112500328681	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	तारणी प्रसाद मडल पिता— स्व० गिरानंद मडल ग्राम— खरहत पो०— गिधवास थाना— रानीगज जिला— अररिया सीआर न०— 108112500946341	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	प्रमोद सिंह पिता- विश्वनाथ सिंह ग्राम- राज्जु साह लेन पो0- रमना थाना- मिठनपुरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112402643977	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	इशरत जहाँ पिता- मो0 नसीम अंसारी ग्राम- फिदाबिगहा पो0- कैरप थाना- रफीगज जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112300510905	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	कुन्दन देवी पति- शिव कुमारी सिंह ग्राम- विवेकानंद नगर पो0- मिर्जापुर बदवार थाना- मुफ्फसिल जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112500921772	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सूरत लाल साह पिता- स्व0 बोआलाल साह ग्राम+पो0- परसा माधो थाना- किशनपुर जिला- सुपौल सीआर न0- 108112500072902	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	रघुवर महतो पिता- स्व0 उचित महतो ग्राम- दीह तभाका पो0- पडित टोला थाना- बिभूतिपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112500969937	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	धनजय पिता- सुदर्शन सिंह ग्राम- बृजलाल बिगहा वार्ड 04 पो0- फखरपुर थाना- अरवल जिला- अरवल सीआर न0- 108112500599636	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	सुनील कुमार पिता- चंद्रदेव प्रसाद यादव ग्राम- जोगसर गोनर लाल लेन पो0- खरमनचक थाना- आदमपुर जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112500996471	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	सोनू कुमार पिता- कमलेश साव ग्राम- नथुपुर कमर्थेल वार्ड 16 पो0- कुर्थौल थाना- परसा बाजार जिला- पटना सीआर न0- 108112500468461	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	उमदा देवी पति- स्व0 पुम देव सिंह ग्राम+पो0- परसरमा थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न0- 108112403488126	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	मजू देवी पति- जनार्दन भगत ग्राम- चौघारा जीवछपुर वार्ड 05 पो0- हरदी थाना- सुपौल जिला- सुपौल सीआर न0- 108112500872071	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	रीकू देवी पति- सजीव रजन सिंह ग्राम- महम्मदपुर पो0- काला डुमरा थाना- जी0बी0 नगर जिला- सिवान सीआर न0- 108112500609604	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	अफरोजी खातून पति- शाहनवाज खान ग्राम- खण्डेल पो0- बिशुनपुरा थाना- शेरघाटी जिला- गया सीआर न0- 108112401900755	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	निर्मला देवी पति- वकील पंडित ग्राम+पो0- फुलवडिया थाना- गोगरी जिला- खगडिया सीआर न0- 108112500692731	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	रेणु पाण्डेय पति- पताप नारायण पाण्डेय ग्राम- देवी अस्थान शिवाजी पथ यारपुर जिला- जी0पी0ओ0 थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना सीआर न0- 108112500210183	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	लालती देवी पति- स्व० सकलदेव प्रसाद सिंह ग्राम+पो०- हॉसी केवल थाना- भगवानपुर जिला- वैशाली सीआर न०- 108112500894066	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	सुरेद्र यादव पिता- बिशुनलाल यादव ग्राम- इदरपुर वार्ड 03 पो०- इदरपुर बरहरा थाना- रानीगंज जिला- अररिया सीआर न०- 108112401336353	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	पूनम देवी पति- तुलसी राय ग्राम- दुमदुमा पो०+थाना- लेहेरियासराय जिला- दरभंगा सीआर न०- 108112501079471	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	ऋषिकेश कुमार पिता- राघो ठाकुर ग्राम- उररा उर्फ हरपुर हरी पो०- हरदासपुर थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- 108112403640386	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	मो० मुस्तफा अहमद पिता- मो० जमाल अहमद ग्राम- खान मिर्जा बागला वार्ड 51 पो०- महेन्द्र थाना- सुल्तानगंज जिला- पटना सीआर न०- 108112401240054	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	राज कुमार राम पिता- रामेश्वर राम ग्राम- बिहारीगंज वार्ड 01 पो०+थाना- बिहारीगंज जिला- मधेपुरा सीआर न०- 108112500417683	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	सोनी कुमारी पिता- केदार नाथ प्रसाद ग्राम- छाता बाजार गोला रोड वार्ड 20 पो०- प्रधान डाकघर थाना- नगर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न०- 108112501042322	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	मनोज साह पिता- दुलारचंद साह ग्राम+पो0- बरियारपुर थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112501065403	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	सीता देवी पति- अमरनाथ शर्मा ग्राम- उदय सिनेमा हॉल के सामने मेन रोड बिहटा वार्ड 08 पो0+थाना- बिहटा जिला- पटना सीआर न0- 108112402838361	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	नागिया पति- अनवर ग्राम+पो0- रामपुर मोहनपुर थाना- अररिया जिला- अररिया सीआर न0- 108112500070195	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	मनीता देवी पति- अशोक राय ग्राम- पचुचक दानापुर पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना सीआर न0- 108112402285507	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	आसमा खातून पति- काजिम खान ग्राम- जफरपुर वार्ड 05 पो0- तुस्तफाबाद थाना- गोरेयाकोठी जिला- सिवान सीआर न0- 108112500970358	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	मो0 सुभान पिता- नूर मोहम्मद ग्राम- घसियाघाट वार्ड 12 पो0- दिल्ली दीवानगज थाना- अमदाबाद जिला- कटिहार सीआर न0- 108112501054690	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	हरदेव मुखिया पिता- महेश मुखिया ग्राम- सिसहनी वार्ड 15 पो0- सिसहनी थाना- पकडीदयाल जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112500841116	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	मीरा देवी पति- स्व० सुनील राम ग्राम+पो०- बगोदर थाना- हिसुआ जिला- नवादा सीआर नं०- 108112501076391	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	राजीव राजन कुमार पिता- रोहित कुमार माझी ग्राम- बरतावलिया वार्ड 03 पो०- इटवा थाना- पचरूखी जिला- सिवान सीआर न०- 108112403824033	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	मो० शमीम असारी पिता- नौशाद असारी ग्राम- आशभाग पो०- बटराहा थाना- सोनमणि गोदाम जिला- अररिया सीआर न०- 108112500961022	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	रेनू कुमारी पति- सदीप कुमार ग्राम- भिट्टा धर्मपुर वार्ड 06 पो०- भिरट्टा धर्मपुर थाना- पुपरी जिला- सीतामढी सीआर न०- 108112501040997	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	पूनम झा पति- शशि नाथ झा ग्राम- ब्रह्मण टौली पो०+थाना- नवहट्टा जिला- सहरसा सीआर न०- 108112400387329	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	राम एकवाल जायसवाल पिता- मुशी जायसवाल ग्राम- पहाडपुर पूर्वी वार्ड 08 पो०- पहाडपुर थाना- जुरावनपुर जिला- वैशाली सीआर नं०- 108112402957360	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	उमरावती देवी पति- भोला राय ग्राम- रामगढा वार्ड 11 पो०- रामगढा थाना- अवतारनगर जिला- सारण सीआर न०- 108112400917859	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	मटू कुमार पिता- सोना राय ग्राम- धने छपरा पो0- परसा थाना- डेरनी जिला- सारण सीआर न0- 108112500609230	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	सतन ठाकुर पिता- गोपी ठाकुर ग्राम- हरपुरवा पो0- बगही थाना- योगापट्टी जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112500823703	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	नूरजहाँ खातून पति- मो0 शोएब आलम ग्राम- बडी दरगाह बिहार शरीफ पो0+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालदा सीआर न0- 108112300097552	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	धनेश्वर प्रसाद पिता- फगु यादव ग्राम- अम्बा वार्ड 04 पो0- अम्बा थाना- रहुई जिला- नालदा सीआर न0- 108112500971796	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	सुनैना देवी पति- भोनू साह ग्राम- अल्लीपुर वार्ड 12 पो0- बखरी सुपायन थाना- राजापाकर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112501130191	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	सुजान्ती देवी पति- नन्द किशोर प्रसाद ग्राम+पो0- अगनूर थाना- कलेर जिला- अरवल सीआर न0- 108112403211175	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	नुरकेस खातून पति- मो0 वसीम अख्तर ग्राम- कजरा वार्ड 14 पो0- सिक्कट थाना- बसरी जिला- कटिहार सीआर न0- 108112500026960	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	अनवरी खातून पति— मजूर आलम ग्राम— श्रीरामपुर वार्ड 05 पो0— तेलता थाना— बलरामपुर जिला— कटिहार सीआर न0— 108112501042136	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	ब्रह्मदेव राय पिता— स्व0 रन्नू राय ग्राम— भगवानपुरवैनी उर्फ गगापुर पो0+थाना— बैनी जिला— समस्तीपुर सीआर नं0— 108112402993021	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
49	उदेश कुमार यादव पिता— सिफल प्रसाद यादव ग्राम— अकबरपुर वार्ड 11 पो0— अकबरपुर थाना— भवानीपुर जिला— पूर्णियाँ सीआर न0— 108112400342457	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
50	गोरख यादव पिता— खूबलाल यादव ग्राम— बभनगामा पो0— कलगी गज थाना— शिवनारायणपुर जिला— भागलपुर सीआर न0— 108112300655733	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
51	कृष्णा गोपाल सिंह पिता— सुरेन्द्रनाथ सिंह ग्राम— मीणा बाजार पो0— सोनपुर थाना— हरिहरनाथ जिला— सारण सीआर नं0— 1081123003776681	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
52	बीबी लाडली पति— अब्दुल शमद ग्राम— बेला परसमणि वार्ड 03 पो0— घुरन थाना— सुपौल जिला— सुपौल सीआर न0— 108112300567389	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
53	रामयतन साह पिता— स्व0 सोनेलाल साह ग्राम— धनहा पो0— मलाही थाना— बेला जिला— सीतामढी सीआर न0— 108112400140277	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।

54	राजा कुमार पिता— उपेन्द्र प्रसाद शर्मा ग्राम— मस्जिद के पास बीचा गाव वार्ड 40 पो0— मुगेर थाना— कासिमबाजार जिला— मुगेर सीआर न0— 108112500820399	स्पाईनल सर्वाइकल सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
55	मो0 इमामुद्दीन अंसारी पिता— गुगली अंसारी ग्राम— पछोर पो0+थाना— रिगा जिला— सीतामढी सीआर न0— 108112500887582	हीप रिप्लेशमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
56	अमीना खातून पति— मो0 ईसुफ ग्राम+पो0— सुर्यापुरा थाना— भगवानपुर जिला— बेगूसराय सीआर न0— 108112500165242	हीप रिप्लेशमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
57	अनिल कुमार गुप्ता पिता— जाटो साह ग्राम— मेहदौली पो0+थाना— भगवानपुर जिला— बेगूसराय सीआर नं0— 108112500937962	नी रिप्लेशमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
58	मो0 बाजुद्दीन पिता— स्वर्ग मोजीब ग्राम— हृदयपुर वार्ड 05 पो0— राजोखर थाना— रानीगज जिला— अररिया सीआर न0— 108112500056630	हीप रिप्लेशमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
59	बैद्यनाथ दास पिता— प्रेम लाल दास ग्राम— भठैली वार्ड 04 पो0— एकम्बा थाना— जलालगढ़ जिला— पूर्णियाँ सीआर न0— 108112403476918	हीप रिप्लेशमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
60	सिमा खातून पति— मो0 रोजा ग्राम— सगुणा मोड नूर कॉलोनी पो0— दानापुर कैट थाना— दानापुर जिला— पटना सीआर न0— 108112500930593	ब्रेन ट्यूमर सर्जरी	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

61	रामचंद्र महतो पिता— मुंशी महतो ग्राम+पो0— रामपुर तिलक थाना— जानकी नगर जिला— पूर्णियाँ सीआर न0— 108112400634148	हृदय रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
62	अरुणा देवी पति— श्रीकांत प्रसाद ग्राम— कटारी वार्ड 14 पो0— गोराउर थाना— छबिलापुर जिला— नालदा सीआर न0— 108112401493408	Cataract surgery RE	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
63	सतीश कुमार अरोडा पिता— स्व0 राम लाल अरोडा ग्राम— घोष लेन वार्ड 17 पो0— समस्तीपुर थाना— नगर जिला— समस्तीपुर सीआर न0— 108112500887094	Cataract surgery RE	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
64	नसीमा खातून पति— मो0 सैनुद्दीन ग्राम— धर्मपुर पो0— अमनौर थाना— मढौरा जिला— सारण सीआर न0— 108112300754189	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
65	राजेश कुमार पंडित पिता— बलिराम पंडित ग्राम— सुरबीर पो0— पतेरही थाना— महाराजगंज जिला— सिवान सीआर न0— 108112401470475	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	सगीता कुमारी पति— संजीव कुमार ग्राम— निरचली बाजार पो0+थाना— राजगीर जिला— नालदा सीआर न0— 108112401081878	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
67	रामनाथ शर्मा पिता— रामेश्वर शर्मा ग्राम— डफरपुर वार्ड 08 पो0— डुरपुर थाना— नावकोठी जिला— बेगूसराय सीआर न0— 108112500131216	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	जौवाद हुसैन पिता- इब्राहीम मिया ग्राम- हरदिया पो0- मठिया वृत्त थाना- छौडादानो जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112500858370	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	रौशन कुमार पिता- दानी यादव ग्राम- गगापुर पो0- मसौधा थाना- कसार जिला- शेखपुरा सीआर न0- 108112500476566	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	अबधेश कुमार पिता- रामविलाश प्रसाद ग्राम- न्यू एरिया नवादा वार्ड 21 पो0+थाना- नवादा जिला- नवादा सीआर न0- 108112402132816	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	सजय कुमार सिंह पिता- राम नारायण प्रसाद सिंह ग्राम- किरतपुर राजराम पो0+थाना- भगवानपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112500448643	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	उर्मिला देवी पति- रविद्र पासवान ग्राम- उत्तरथु वार्ड 10 पो0- उत्तरथु थाना- बिद जिला- नालदा सीआर न0- 108112500935544	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	मोहन कुमार सिंह पिता- स्व0 कामता प्रसाद सिंह ग्राम- ढकनपुरा पो0- अनिशाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना सीआर न0- 108112500886896	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	विप्लव कुमार पिता- रामविलास कामत ग्राम- मकरोय पो0- महेशपुर थाना- पिपरा जिला- सुपौल सीआर न0- 108112501152195	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	मो० मोहिउद्दीन अंसारी पिता- हुसैन अंसारी ग्राम- कनहौली वार्ड 02 पो०+थाना- झझारपुर जिला- मधुबनी सीआर न०- 108112401779964	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	फेरिको कुमारी पिता- राजेद्र प्रसाद ग्राम- तरवारा उत्तर टोला वार्ड 08 पो०- तरवारा थाना- जी०बी० नगर जिला- सिवान सीआर न०- 108112500204981	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	चदा देवी पति- चन्द्रिका मडल ग्राम- तेतरिया वार्ड 12 पो०- धोधरि थाना- सोनो जिला- जमुई सीआर न०- 108112500508107	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	रीता कुंवर पति- मनोज साह ग्राम- मुकुंदपुर वार्ड 08 पो०- मुकुंदपुर थाना- चरपोक्षरी जिला- भोजपुर सीआर न०- 108112500984090	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	तलेवर मडल पिता- स्व० जीवलाल मडल ग्राम- छुछनरिया पो०+थाना- झांझा जिला- जमुई सीआर न०- 108112500338139	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	सुधा कुमारी पति- चन्दन कुमार चौहान ग्राम- डुमरा वार्ड 11 पो०- डुमरा थाना- जमो बाजार जिला- सिवान सीआर न०- 108112403359148	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	गणेश राम पिता- दुखा राम ग्राम+पो०- सधवारा थाना- सिमरी जिला- दरभंगा सीआर न०- 108112500778053	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	कलीमुद्दीन असारि पिता- इस्लाम असारि ग्राम- हसाई वार्ड 13 पो0- हसाई थाना- धन्कुड जिला- बाका सीआर न0- 108112500456522	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	नर्वदेश्वर पाडेय पिता- रामावतार ग्राम- रूद्रपुर वार्ड 03 पो0- रूद्रपुर थाना- कटेया जिला- गोपालगज सीआर न0- 1081125008200321	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	राम राजी देवी पति- मोहित महतो ग्राम- बरियारपुर वार्ड 08 पो0- बरियारपुर थाना- सीतामढी जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112300133389	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	गुलशन कुमार पिता- श्याम महतो ग्राम- कुडा पो0- कटेल थाना- अमरपुर जिला- बाका सीआर न0- 108112300428371	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	सगीता देवी पति- मनोज रजक ग्राम- श्रीपुर पो0- एकदारी थाना- छौडादानो जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112500751486	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	प्रिस कुमार पिता- गोपाल साहनी ग्राम- केवतलिया वार्ड 03 पो0- केवतलिया थाना- दरौली जिला- सिवान सीआर न0- 108112500012048	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	मु0 आशा देवी पति- भिखारी सिंह ग्राम+पो0- बराही थाना- रिगा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112500757981	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

89	विपिन यादव पिता- भोला यादव ग्राम+पो0+थाना- अगारघाट जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112500612281	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	जसो देवी पति- योगेद्र राम ग्राम- निर्मली वार्ड 07 पो0+थाना- निर्मली जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112500523670	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	अजबलाल यादव पिता- राम चरित्र यादव ग्राम+पो0+थाना- डडारी जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112501219931	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	कुती देवी पति- हृदय यादव ग्राम- जमालपुर वार्ड 05 पो0- लारी थाना- कुर्था जिला- अरवल सीआर नं0- 108112501067228	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	नन्दलाल यादव पिता- महावीर यादव ग्राम- अधरा वार्ड 01 पो0- अधरा थाना- अन्ध्राटारही जिला- मधुबनी सीआर नं0- 108112500833342	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	सत्येद्र यादव पिता- गिरधारी यादव ग्राम- निगहाई वार्ड 04 पो0- सिदौरी थाना- कोच जिला- गया सीआर नं0- 108112300574482	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	कलावती देवी पति- केदार सिंह ग्राम- अरना वार्ड 01 पो0- अरना थाना- मशरक जिला- सारण सीआर नं0- 108112500867867	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

96	लालबहादुर राय पिता- जवाहर लाल राय ग्राम- काला दियारा वार्ड 09 पो0- कला दियारा थाना- सालीमपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112500123884	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	बौआ लाल मडल पिता- लखन मडल ग्राम- हरिहरपुर वार्ड 15 पो0- हरिहरपुर थाना- छातापुर जिला- सुपौल सीआर न0- 108112501161020	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	रश्मि कुमारी पति- राकेश रजन ग्राम- ओनी वार्ड 13 पो0- भवदेवा थाना- सिमरीबखियारपुर जिला- सहरसा सीआर न0- 108112500555768	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	खुशबु तिवारी पति- परमेन्द्र तिवारी ग्राम- बिलासपुर वार्ड 21 पो0- हरिनगर थाना- रामनगर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112500375026	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	मो0 कौशर पिता- मो0 नईम ग्राम- वनद्वार वार्ड 06 पो0- वनद्वार थाना- निमाचदपुरा जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112500340265	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	मीरा कुमारी पति- नीतीश कुमार ग्राम- साउथ एकौना वार्ड 12 पो0- साउथ एकौना थाना- उदवत नगर जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112501060177	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	बबलू राम पिता- सुरेश मेहरा ग्राम- श्याम टोला वार्ड 16 पो0- रसलपुर धुरिया थाना- चौसा जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112500872453	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

103	मसुद बेग पिता- अयुब बेग ग्राम- थैगौल वार्ड 01 पो0+थाना- नानपुर जिला- सीतामढी सीआर नं0- 108112402263970	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
104	मीरा देवी पति- मुकेश यादव ग्राम- छौरहिया वार्ड 13 पो0- रतनमाला थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं0- 108112501051062	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	मालो देवी पति- बृजराज प्रसाद ग्राम- बहरी बेगमपुर बस्कारिया टोला वार्ड 68 पो0- बेगमपुर थाना- बाईपास जिला- पटना सीआर नं0- 108112500636601	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	जीतनी देवी पति- गजेद्र रविदास ग्राम- गबडापर पो0+थाना- हिलसा जिला- नालदा सीआर नं0- 108112500972482	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	प्रभु राम पिता- अकलू राम ग्राम+पो0- पुनमाधरमपुर थाना- हथौडी जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112501218360	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
108	फरजाना खातून पति- मो0 अकबर अली ग्राम- मेहसौल नगर निगम वार्ड 26 पो0- मेहसौल थाना- सीतामढी जिला- सीतामढी सीआर नं0- 108112500396635	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
109	देवेन्द्र ठाकुर पिता- स्व0 रामेश्वर ठाकुर ग्राम- रामपुर तिलक वार्ड 13 पो0- रामपुर तिलक थाना- जानकी नगर जिला- पूर्णियाँ सीआर नं0- 108112500605773	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

110	सीता राम भगत पिता— समा भगत ग्राम— रामापाली वार्ड 14 पो0+थाना— महाराजगज जिला— सिवान सीआर न0— 108112500927568	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
111	सुलेमान फजले अली पिता— नजरूल रहमान ग्राम— इब्राहिमपुर पो0— हरपुर कराह थाना— बनियापुर जिला— सारण सीआर न0— 108112501209880	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
112	मो0 शइरेज पिता— मो0 अफन अहमद ग्राम— सलेमपुर पो0+थाना— सोहसराय जिला— नालदा सीआर न0— 108112500764464	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
113	बबली कुमारी पिता— सजीत साह ग्राम— ककरिया वार्ड 13 पो0— गोदनपट्टी थाना— गायघाट जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न0— 108112401128114	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
114	रीना देवी पति— सजीव कुमार ग्राम— टीकापट्टी वार्ड 18 पो0+थाना— टीकापट्टी जिला— पूर्णियाँ सीआर न0— 108112500227558	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
115	पार्वती देवी पति— पछी राय ग्राम— धोधी रतन वार्ड 12 पो0— केशरावा थाना— फकुली जिला— मुजफ्फरपुर सीआर न0— 108112500302762	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
116	कचन कुमारी पति— स्व0 सोहन साफी ग्राम— पडौल वार्ड 15 पो0+थाना— पडौल जिला— मधुबनी सीआर न0— 108112500533721	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

117	मनोज ठाकुर पिता- देवनारायण ठाकुर ग्राम+पो0- बथनाहा थाना- जोगबनी जिला- अररिया सीआर न0- 108112501011494	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
118	गायत्री देवी पति- देवीलाल सहनी ग्राम- लालबेगिया वार्ड 10 पो0- मिश्रौलिया थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112500902058	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
119	रामदयाल देवी पति- घुरान कमती ग्राम+पो0+थाना- हसनपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112500324651	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
120	अनिशा वर्मा पति- कुमार रवि शकर बिरनबे ग्राम+पो0- इनायतपुर थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112403038686	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
121	अब्दुल रशीद(ए शरीद) पिता- अब्दुल गाणी ग्राम- सिमरिया चामापाडा पो0- बैजनाथ पुर सिमरिया थाना- कोढा जिला- कटिहार सीआर न0- 108112300701976	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
122	निरजन साव पिता- स्व0 बिरेन्द्र साव ग्राम- पुरानी पानापुर वार्ड 21 पो0- दीघा थाना- दानापुर जिला- पटना सीआर न0- 108112300662071	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
123	मिटू देवी पति- रविद्र झा ग्राम- नन्द गाव वार्ड 08 पो0+थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना सीआर न0- 108112500138831	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।

124	हरेन्द्र कुमार पिता- स्व० रघुनन्दन पासवान ग्राम- आजमपुर गोला पो०+थाना- मनहारी जिला- कटिहार सीआर न०- 108112300362311	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
125	बिना देवी पति- शिबू राम ग्राम- गौशाला रोड वार्ड 14 पो०- मधुबनी थाना- टाउन जिला- मधुबनी सीआर न०- 108112301032179	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
126	उदय कात शर्मा पिता- जय श्री शर्मा ग्राम- अजमेरीपुर पो०- शकरपुर चोवनिया थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर सीआर न०- 108112403011532	हृदय रोग सीएडी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
127	मदन राय पिता- दरेश राय ग्राम- दमही वार्ड 06 पो०- मलाही थाना- बेला जिला- सीतामढी सीआर न०- 108112400891132	नी रिफ्लेशमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
128	शाह जहान पिता- मो० इबने हरसन ग्राम- बरदाहा थाना- बिस्फी जिला- मधुबनी सीआर न०- 108112500874103	Catarac t surger y LE	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
129	उषा देवी पति- युगल महतो ग्राम+पो०- दरखा थाना- लछुआड जिला- जमुई सीआर न०- 108112500251271	Catarac t surger y LE	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
130	राजेन्द्र कुमार पिता- स्व० नथुनी बारी ग्राम+पो०- सिहरी थाना- हसपुरा जिला- औरंगाबाद सीआर नं०- 108112500940017	Catarac t surger y RE	20,000	बीस हजार स्वीकृत।

131	अर्जुन सिंह पिता- महेद्र सिंह ग्राम- गोला रोड दानापुर पो0- दानापुर थाना- धनरुआ जिला- पटना सीआर न0- 108112500362978	Cataract surgery	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
132	किशोरी देवी पति- स्व0 बृजमोहन ग्राम- बनकटवा पो0+थाना- बगहा जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112500550260	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
133	कमली देवी पति- दशरथ यादव ग्राम- धपरी पो0- छापा थाना- झाझा जिला- जमुई सीआर न0- 108112501043990	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
134	मो0 मसले उद्दीन पिता- लियाकत मिया ग्राम- पिपरपत्ता पो0- मलिया थाना+जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112400646456	हृदय रोग सीएडी क्लोजर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
135	भूमि पासवान पिता- खुशर पासवान ग्राम- बेला टोल वार्ड 23 पो0+थाना+जिला- सुपौल सीआर न0- 108112500661916	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
136	सरस्वती देवी पति- असेश्वर सिंह ग्राम+पो0- अलावलपुर थाना- गौरीचक जिला- पटना सीआर नं0- 108112301079981	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
137	शाहजहा खातून पति- बदरुद्दीन असारी ग्राम- फुर्सतपुर पो0- सूतिहार थाना- डेरनी जिला- सारण सीआर न0- 108112403761566	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
138	सुनीला कुमारी पति- विजय कुमार राय ग्राम- लगमा पो0- बहादुरपुर थाना- घटहो जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112300341691	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

139	सरोज पोद्दार पिता- कमलेश्वरी पोद्दार ग्राम- रामचन्द्रा पो0+थाना+जिला- खगडिया सीआर न0- 108112301130243	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			1,01,95,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,01,95,000/- (एक करोड़ एक लाख पन्चानवे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~176907~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-**503 2011 9556** खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1451(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~176907~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

महावीर आरोग्य संस्थान,
नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज,
अपोजीट पेट्रोल पम्प,
कंकड़बाग, पटना- 800020

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० शफीक शाह पिता- मो० मोनीर शाह ग्राम+पो०- बालासाथ थाना- नानपुर जिला- सीतामढ़ी रजि न०- 2526/6510	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	हरिवंश झा पिता- देवचन्द्र झा ग्राम- नवटोली पो०- धकजरी थाना- अरेर जिला- मधुबनी रजि न०- 2526/6367	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			2,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1843085503 खाता धारक का नाम-निदेशक/महावीर आरोग्य संस्थान, नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज, कंकड़बाग पटना 20 " खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चिरैयाटांड, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0282213 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार

निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1452(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196907 .. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,
कंकडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पंकज कुमार चौधरी पिता- भोला चौधरी ग्राम+पो०- बबुरा, थाना- बडहरा जिला- भोजपुर	हृदय रोग बीएमभी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	जुली कुमारी पिता- पप्पू कुमार ग्राम- मुशी मुहल्ला पुरानी शहर पो०+थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग एसडी क्लोजर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	हरेद्र पासवान पिता- जगदीश पासवान ग्राम- भुराखाल पताही पो०+थाना- पताही जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग एभीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
4	राकेश कुमार पिता- बाल्मीकि प्रसाद ग्राम- चकहुसैन पो०+थाना- खुसरूपुर जिला- पटना	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
5	दुर्गा राय पिता- कपिलदेव राय ग्राम- गौसगंज पो०- आरा, थाना- टाउन जिला- भोजपुर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	सुतो देवी पति- सुजीत राय ग्राम+पो0- ढेपुरा थाना- दलसिहसराय जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग बीएमभी	55,000	पचपन हजार स्वीकृत।
7	चन्द्रा तिवारी पति- स्व0 परशुराम तिवारी ग्राम+पो0- छोटकी नैनीजोर थाना- नैनीजोर, जिला- बक्सर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			6,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,10,000 /- (छः लाख दस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकडबाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकडबाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 30/5/2025

ज्ञापाक

1453(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फूलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **21.05.2025** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रोहन कुमार राय पिता- सागर कुमार राय ग्राम+पो0- शुम्भ ड्योढी थाना- सिन्धिया जिला- समस्तीपुर	गुर्दा प्रत्यारोपन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	नजरूल हक पिता- मजरूल हक ग्राम- बीबीपुर पो0+थाना- काको जिला- जहानाबाद	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
3	विजय कुमार सिंह पिता- राजनदन सिंह ग्राम- चदवारा पो0+थाना- करताहा जिला- वैशाली	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	रामजी महतो पिता- रामनारायण महतो ग्राम+पो0- केरवान थाना- इसुआपुर जिला- सारण	बोथ हीप रिप्लेशमेट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।

5	प्रियका कुमारी पिता- लक्ष्मी पासवान ग्राम- सैदपुर जाहिद पो0- रूपौली थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर	वन हीप रिप्लीशमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	कन्हैया कुमार ठाकुर पिता- राज कुमार ठाकुर ग्राम+पो0- राघोपुर थाना- मनीगाछी जिला- दरभंगा	बोथ हीप रिप्लेशमेट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
7	रविन्द्र महतो पिता- जगरनाथ महतो ग्राम- अकबरपुर पो0- सीतलपुर थाना- दरियापुर जिला- सारण	बोथ हीप रिप्लेशमेट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
8	सुदमिया देवी पति- चन्द्रिका चौधरी ग्राम- मालिसाढ पो0- नीमथु थाना- छबिलापुर जिला- नालदा	बोथ हीप रिप्लेशमेट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
9	रजीता श्रीवास्तवा पति- राजन कुमार ग्राम+पो0- चंदनपट्टी थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर	वन हीप रिप्लीशमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	वकील यादव पिता- चन्द्रमा यादव ग्राम+पो0- टडवा थाना- सिवान मुफ्फसिल जिला- सिवान	बोथ हीप रिप्लेशमेट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
11	सतीश कुमार मिश्र पिता- विजय मिश्र ग्राम+पो0- गगवारा पो0- बलीगढ थाना- रून्नीसैदपुर जिला- सीतामढी	वन हीप रिप्लीशमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	मजुला भारती पति- इन्द्र देव ठाकुर ग्राम- माली टोला जमालपुर पो0- जमालपुर गोगरी थाना- गोगरी जिला- खगडिया	बोथ नी रिप्लेशमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

13	उमेश पाठक पिता- रामऔतार पाठक ग्राम+पो0+थाना- चदौती जिला- गया	बोथ नी रिप्लेशमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
14	मजू देवी पति- नागेश्वर दास ग्राम- पिरोई शमसुद्दीन पो0- पिरोई थाना- गोरौल जिला- वैशाली	बोथ नी रिप्लेशमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
15	चिता देवी पति- रामायण प्रसाद ग्राम- सरेया वार्ड 04 पो0+थाना- गोपालगज जिला- गोपालगज	बोथ नी रिप्लेशमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
16	कमली देवी पति- केदारनाथ राय ग्राम- मोलाहा पो0- सितालपुर थाना- दरियापुर जिला- सारण	बोथ नी रिप्लेशमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
17	राधिका देवी पति- विश्वनाथ साह ग्राम+पो0- मगलपुर थाना- पटरखौली जिला- पश्चिम चम्पारण	बोथ नी रिप्लेशमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
18	देवेद्र शर्मा पिता- राधाकात शर्मा ग्राम- उचिटा पो0+थाना- शकुराबाद जिला- जहानाबाद	Severe arthritis Left Knee	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
19	फिरोज आलम मो0 मुन्न मिया ग्राम- सीतलपुर बाजार पो0- सीतलपुर थाना- दिघवारा जिला- सारण	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
20	प्रियका देवी पति- दिलीप कुमार पाण्डेय ग्राम- रूप रहीमपुर पो0+थाना- मढौरा जिला- सारण	प्लास्टिक सर्जरी	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
21	मुस्कान कुमारी पिता- धर्मेन्द्र शुक्ला ग्राम- पथना वार्ड 01 पो0+थाना- इमामगज जिला- गया	प्लास्टिक सर्जरी	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत।

22	श्रीराम कुमार पिता— श्रवण चौहान ग्राम— मोतीबीघा पो0— तेउस थाना— सरमेरा जिला—नालदा	प्लास्टीक सर्जरी	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
23	वेदान्त कुमार पिता— रविश कुमार ग्राम— महमदपुर वार्ड 03 पो0— तिसखोरा थाना— नौबतपुर जिला— पटना	कोकलियर इम्प्लांट	4,25,000	चार लाख पचीस हजार स्वीकृत।
24	लाल बहादुर राम पिता— त्रिभुवन राम ग्राम— राम केकई पो0— डुमरी थाना— शिवसागर जिला— रोहतास	Deformity Correction	1,80,000	एक लाख अरसी हजार स्वीकृत।
25	कन्हैया साह पिता— दीपनारायण साह ग्राम— रघुनाथपुर पो0— कनार हरिहरपुर थाना— खैरा जिला— सारण	Corpectomy+C age+Multi level fixation	1,25,000	एक लाख पचीस हजार स्वीकृत।
26	हीरा लाल गोसाई पिता— विश्वनाथ गोसाई ग्राम+पो0— बनकट थाना— अगिआव जिला— भोजपुर	Spondylosis- spine	1,25,000	एक लाख पचीस हजार स्वीकृत।
27	जेयाउल हक पिता— दोस्त मोहमद असारी ग्राम— इन्द्रगाछी पो0— भादामुरली थाना— संग्रामपुर जिला— पूर्वी चम्पारण	Secondry Osteoarthritis right hip joint	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
28	रीना कुमारी पति— अभिषेक राज ग्राम— गुरमुरिया वार्ड 13 पो0— सुधारी थाना— गोविन्दपुर जिला— नवादा	एएसडी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृति।
29	कृश कुमार पिता— दीपक कुमार ग्राम+पो0+थाना— हिसुआ जिला— नवादा	Glaucoma Surgery	20,000	बीस हजार स्वीकृत।

30	हरिबोल यादव पिता- इद्रजीत यादव ग्राम- तेतरिया पो0+थाना- बौसी जिला- बाका	एसीएल	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
31	मुमताज हसन पिता- मजहरुल हसन ग्राम- लालपुरा पो0- बरुआने थाना- भदौर जिला- पटना	एसीएल	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
32	मनोज कुमार सोनी पिता- जोखन प्रसाद ग्राम- पाली मोड डेहरी पो0- डालमियानगर थाना- डेहरी जिला- रोहतास	Rotator Cuff Tear right shoulder	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
33	चन्द्रभूषण तिवारी पिता- राम अयोध्या तिवारी ग्राम- बरैठा भूमिहारी टोला पो0+थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण	Rotator cuff tear (RCT) repair	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
34	प्रियका कुमारी पिता- देव कुमार राम ग्राम- बडका चदा पो0- कटकैरा थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर	GCT right side proximal tibia	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
35	बबली कुमारी पति- भरत कुमार ग्राम- नोखा वार्ड 21 पो0+थाना- नोखा जिला- रोहतास	Ancehoic	10,000	दस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
36	आशिक राज पिता- सुनील कुमार सिंह ग्राम- साहदुल्लाहपुर वार्ड 08 पो0- चदनपट्टी थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर	Spastic Diplegia	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
37	अमिता कुमारी पिता- भोला प्रसाद ग्राम- बल्डीहा पो0- खैरवार थाना- कोपा जिला- सारण	Left Upper Lobectomy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

38	सुभद्रा कुमारी पिता- अनुज कुमार ग्राम- ग्वाला बिगहा पो0- बभनबारुई थाना- हिलसा जिला- नालदा	Bilateral Ankle Arthrodesis	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
39	विशाल कुमार पिता- राजीव कुमार ग्राम- मेदनीपुर वार्ड 08 पो0- मेदनीपुर थाना- दिनारा जिला- रोहतास	Chronic Rhinosinusit is	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
40	दिलीप पासवान पिता- नागेद्र पासवान ग्राम- सबहा न या टोला वार्ड 07 पो0- ढोली थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर	Cystoscopy	20,000	बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
41	हरिनन्दन कुमार उपाध्याय पिता-देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ग्राम-लरुआ पो0-बलौन थाना-महारजगज जिला-सीवान	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
42	छठीया देवी पति-सत्यनारायण पासी ग्राम-धर्मपरसा पो0-धर्मपरसा थाना-मांझागढ जिला-गोपालगज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
43	गीता देवी पति-राघवेन्द्र नारायण सिंह ग्राम-जमालपुर पो0-अमनौर थाना-मढौरा जिला सारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
44	सुभगिया देवी पति- सुखलाल सिंह ग्राम-अमरपुरा वार्ड 10 पोस्ट-मखमिलपुर थाना-पालीगज जिला-पटना	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

45	चदन कुमार पिता-विजय कुमार रजक ग्राम-पक्की सराय सोगरा इस्टेट पो0-एच. पी ओ थाना-मनेर जिल-मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	ओमकार कुमार पिता-मनोज झा ग्राम-लगौली वार्ड 15 पो0-टिलरहत थाना-बरौनी पी0एस0 जिला-बेगुसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
47	तबरसुम परवीन पति-मो0 शाहीद ग्राम-अधरी पो0-मोकरमपुर थाना-सदर जिला-दरभंगा	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
48	शोभाकान्त यादव पिता-स्व0 भबी प्रसाद यादव ग्राम-मुसहरनीया पो0-भूरा थाना त्रिवेणीगज जिला सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	मुन्ना कुमार पिता-ललन तांती ग्राम-कैराकादो पो0-मोगोबदर थाना खैरा जिला जमुई	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	अम्बिका मडल पिता-भदो मडल ग्राम-बाखरपुर पश्चिम पो0-बाखरपुर थाना-बाखरपुर जिला-भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	शाईस्ता गुफराना पिता-निसार अहमद ग्राम-लतामबाडी वार्ड 08 पोस्ट-शहीदगज थाना-भवानीपुर जिला-पूर्णिया	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।

52	रमावती देवी पति-शिव रतन माझी ग्राम-माधोपुर पो0+थाना-तरैया जिला-सारण	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
53	रहीसा खातुन पति-मो0 शामउदीन ग्राम-मदरसा के पास मझौलीया पो0-खबरा थाना-सदर जिला-मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	बीबी मीना खातुन पति-मो0 सोहैल ग्राम-खडहरा पो0-खडहरा थाना-बाराहाट जिला-बांका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	अयोध्या साव पिता-देवनन्दन साव ग्राम-पो0-बसनियावन थाना-हरनौत जिला नालंदा	कैसर रोग	70,000	सतर हजार स्वीकृत।
56	जगीया देवी पति-प्रमोद कुमार ग्राम-गोपालपुर वार्ड 02 पो0-रामनाथपुर थाना-सरमेरा जिला नालंदा	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
57	माधुरी देवी पति-उमेश कुमार पाण्डेय ग्राम-दाढी बढी वार्ड 14 पोस्ट-बनियापुर थाना-बनियापुर जिला-सारण	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
58	कुमरेश कुमार गिरी पिता- बलिश्टर गिरी ग्राम+पो0- लछवार थाना- थावे जिला- गोपालगज	Knee Amputation	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
59	प्रीतम प्रसाद पिता- जोगेन्द्र ग्राम+पो0- हरनरैना थाना- शिकारगज जिला- पूर्वी चम्पारण	ACL	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			57,35,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 57,35,000/- (सन्तावन लाख पैतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 196747 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक

ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1454(14)

पटना, दिनांक

30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196707 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
कंकडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक . . .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बुलद अख्तर पिता- मो० शहाबुद्दीन ग्राम- इमादपुर सगत पो०+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालदा	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख पचास
2	बिरेद्र कुमार पिता- मुन्ना सिंह ग्राम- खदरा टोला पो०- दावा थाना- जगदीशपुर जिला- भोजपुर	हृदय रोग एमबीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	जैतुन निशा पति- मोहम्मद उस्मान ग्राम- विक्रम पट्टी पो०- हरदा थाना- के हाट जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	ललन कुमार सिंह पिता- लक्ष्मीश्वर सिंह ग्राम- मोहनपुर पो०- बलवा जाट थाना- बलवाहाट जिला- सहरसा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	अखिलेश प्रसाद पिता- गिरजा प्रसाद ग्राम- एरौरा बराई बीघा पो0- एरौरा थाना- देव जिला- औरंगाबाद	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	माधुरी देवी पति- स्व0 अखिलेश्वर सिंह ग्राम- मनपुरवा पो0- कपसियावा थाना- हिलसा जिला- नालदा	हृदय रोग सीएबीजी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
7	पुतुल कुमारी पिता- सजय राम ग्राम- मटियारा पो0- भोजपट्टी थाना- सराय जिला- वैशाली	हृदय रोग एएसडी डिभाईस	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	सरिता कुमारी पति- सतोष कुमार ग्राम+पो0- निसरपुरा थाना- परसा बाजार जिला- पटना	हृदय रोग एमबीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
9	रजीत कुमार यादव पिता- भीमराज राय ग्राम- लालपोखर दिघी पो0- दिघी कला थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	हृदय रोग एमबीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
10	मनीष कुमार गुप्ता पिता- कन्हैया गुप्ता ग्राम- आलेख टोला पो0- गरीब टोला थाना- रिविलगज जिला- सारण	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 11,25,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,25,000/- (ग्यारह लाख पचीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 1499002109000623 खाता धारक का नाम- "राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

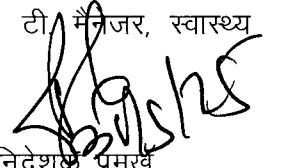
ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1455(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दीपू कुमार पिता- रामबाबू प्रसाद ग्राम- किला रोड झाऊगंज पटना सिटी पो०- झाऊगंज थाना- चौक जिला- पटना यूएचआईडी न०- 3000551276	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	विजय प्रसाद पिता- रामखेलावन यादव ग्राम- उखदी पो०- तेउस थाना- जयरामपुर जिला- शेखपुरा यूएचआईडी न०- 3000465657	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	प्रियका कुमारी पिता- राज कुमार यादव ग्राम+पो०- अमृता थाना- सोनवर्षा जिला- सहरसा यूएचआईडी न०- 3000560830	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	राघव चौधरी पिता- लक्ष्मेश्वर चौधरी ग्राम- डरहार पो०- लहेरियासराय थाना- बहादुरपुर जिला- दरभंगा यूएचआईडी न०- 3000122643	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	अनीता कुमारी पिता- विजय यादव ग्राम- महेशपुर पो0+थाना- पीरी बाजार जिला- लखीसराय यूएचआईडी न0- 3000531092	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	आलिया नाज पिता- मो0 जाहिद ग्राम- दरगाह रोड मासूम गली सफेद हाउस, पो0- महेन्द्र थाना- सुल्तानगज जिला- पटना यूएचआईडी न0- 3000572010	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	चन्द्रिका राम पिता- सरयुग राम ग्राम+पो0- बलुआ रमपुरवा थाना- बैरिया जिला- पश्चिम चम्पारण यूएचआईडी न0- अकित नहीं है।	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	कुतुबुन निशा पति- मो0 अरशद ग्राम- कसबा पो0- हुसैना थाना- बलिया पुलिस स्टेशन जिला- बेगूसराय यूएचआईडी न0- 3000305636	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	सजीव प्रसाद सिंह पिता- अयोध्या सिंह ग्राम+पो0- मघडा थाना- दीपनगर जिला- नालदा यूएचआईडी न0- 3000577304	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	करन कुमार पिता- स्व0 हरिभजन चौधरी ग्राम- राजा बाजार बिहिया पो0+थाना- बिहिया जिला- भोजपुर यूएचआईडी न0- 3000577567	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	परवा देवी पति- उमेश शर्मा ग्राम- करीगाव, पो0- बहादुरपुर थाना- रजौली जिला- नवादा यूएचआईडी न0- 3000576716	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
12	बबली कुमारी पिता- किशोरी राम ग्राम- विजय बिगहा बडकी डेल्हा पो0- रेलवे स्टेशन थाना- देलाहा जिला- गया यूएचआईडी न0- 3000333294	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

13	नेमत आरा पति- अब्दुल मतीन ग्राम+पो0- गरहिया थाना+जिला- शिवहर यूएचआईडी न0- 3000577797	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	गीता देवी पति- नेपाल साह ग्राम+पो0+थाना- पतरघट जिला- सहरसा यूएचआईडी न0- 3000577771	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
15	कमलेश राम पिता- राम बृक्ष राम ग्राम- आंबेडकर कॉलोनी बसवरिया पो0- बेतिया थाना- नगर जिला- पश्चिम चम्पारण यूएचआईडी न0- 3000576048	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	सेन्दु देवी पति- आशीष कुमार भारती ग्राम- सफाबाद पो0- बरियाही बाजार थाना- बनगाव जिला- सहरसा यूएचआईडी न0- 3000577248	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
17	पुटा देवी पति- नवल किशोर प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- मुगेर थाना- कासिमबाजार जिला- मुंगेर यूएचआईडी नं0- 3000576350	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			8,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,70,000/- (आठ लाख सत्तर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176707 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

6. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

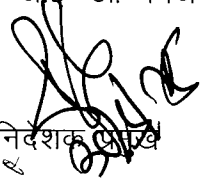
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1456 (14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड़, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बीरेद्र साह पिता- सिहासन साह ग्राम- गौधी नगर कोचस पो०+थाना- कोचस जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	हिमाशु कुमार पिता- प्रदीप कुमार ग्राम- बनौखर, पो०- देव थाना- मदनपुर जिला- औरंगाबाद	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	रियांश कुमार पिता- राजेश कुमार ग्राम+पो०- सुइथा थाना- परसा बाजार जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	रिकू देवी पति- स्व० नवल किशोर ग्राम- आमी चौहानीपट्टी पो०- आमी थाना- दिघवारा जिला- सारण	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
5	नन्द किशोर सिंह पिता- स्व० त्रिवेणी सिंह ग्राम- बर्मा खुर्द पो०- मुजहडा थाना- गोह जिला- औरंगाबाद	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

6	केदान चौहान पिता- गोरेलाल चौहान ग्राम- जोगना पो0- बाघी बरडीहा थाना- वारसलीगज जिला- नवादा	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
7	अजय कुमार पिता- किशोरी प्रसाद सिंह ग्राम- नियर नालपार नई ताराचक पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	श्याम सुन्दर प्रसाद पिता- सीता राम महतो ग्राम+पो0- लहुआर थाना- राजगीर जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
9	बिरेन्द्र कुमार नोनिया पिता- स्व0 श्रीकांत महतो नोनिया ग्राम+पो0- चकन्दरा थाना- चेवाडा जिला- शेखपुरा	हर्निया रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
10	मजु देवी पति-विनोद राय ग्राम-सगुना पो0-दानापुर कैट थाना दानापुर जिला पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	नरेन्द्र कुमार पिता-स्व0 जय प्रकाश सिंह ग्राम-अमैसिडीहरा पोस्ट-ददहवन थाना-कोचस जिला-रोहतास	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
12	सपना कुमारी पिता-प्रमोद मिश्रा ग्राम-बिदेश्वरी प्रसाद गोसाई टोला पो0+थाना पाटलीपुत्रा जिला-पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	जहाँगीर आलम पिता-मो0 जलालुद्दीन ग्राम-मढौरा खास पो0+थाना-मढौरा जिला सारण	ड्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
14	शिव नारायण कुमार पिता-'मनोहर पासवान ग्राम-माधोपुर पो0-पहाडपुर थाना-अकबरपुर जिला-नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

15	उपेन्द्र कुमार सिंह पिता-शिव शंकर सिंह ग्राम-मरुआ पोस्ट+थाना-दिनारा जिला रोहतास	ट्रामा मल्लीपल इजुरी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	प्रताप सिंह पिता-सुनील प्रसाद ग्राम-भवानीपुर पो0-टीकाहन भवानीपुर थाना-सग्रामपुर जिला-पूर्वी चम्पारण	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	अंकित कुमार पिता-शैलेन्द्र कुमार सिंह ग्राम+पो0- मोथहा थाना- मढौरा जिला- सारण	स्पाईनल नेक सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			13,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,60,000/- (तेरह लाख साठ हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस0बी0आई0 ग्राउंड फ्लोर ओजोन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक

1457(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्वाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुशीला देवी पिता— स्व० अजबलाल चौधरी ग्राम— जगदीशपुर पो०— आधारपुर थाना— ताजपुर जिला— समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	कुमार अनुभव पिता— कुमार अलोक ग्राम+पो०— दूल्हा थाना— बिस्फी जिला— मधुबनी	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	विकाश कुमार पिता— बिनोद सहनी ग्राम— साजनपुर पो०— किशनपुर थाना— वारिसनगर जिला— समस्तीपुर	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	दिलखुश कुमार पिता— दिलीप मंडल ग्राम+पो०— मलमल थाना— कलुआही जिला— मधुबनी	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
5	रीता देवी पति— प्रवीण कुमार सिंह ग्राम— नदा पट्टी पो०— अतौर थाना— बहेडा जिला— दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

6	चन्द्रावली साहनी पिता- गंगाई साहनी ग्राम- रूपनगर पो0- नेउरी थाना- बिरौल जिला- दरभंगा	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	रामचंदर मांझी पिता- योगिन्दर मांझी ग्राम- रामपुर पो0- इनाह थाना- बहेरी जिला- दरभंगा	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	भुवनेश्वरी देवी पिता- कमलनारायण दास ग्राम- बहेरा बेनीपुर पो0+थाना- बहेरा जिला- दरभंगा	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	अरुण कुमार सिंह पिता- जय गोविन्द सिंह ग्राम+पो0- खैरा थाना- पतोर जिला- दरभंगा	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	श्याम सूदर कामटी पिता- आनंद कामटी ग्राम- दसौत पो0- बौदा दसौत थाना- रोसडा जिला- समस्तीपुर	द्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
11	बबलू मडल पिता- भोला मडल ग्राम+पो0- खैरा थाना- बहादुरपुर जिला- दरभंगा	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
12	मदन कुमार यादव पिता- राम नारायण यादव ग्राम+पो0- हथौडी थाना- बहेरी जिला- दरभंगा	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
13	विक्रम कुमार पिता- श्रवण साहनी ग्राम- बनवारीपट्टी पो0+थाना- केवटी जिला- दरभंगा	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	गणेश नायक पिता- रामावतार नायक ग्राम+पो0- मधवापुर थाना- मादेपुर जिला- मधुबनी	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

15	कृष्णा चौपाल पिता— रामप्रवेश मंडल ग्राम— सकिरणा पो0— कुशेश्वर स्थाना थाना— के अस्थान जिला— दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	परमानंद राय पिता— नसीब राय ग्राम— बरनिया पो0— इटहर थाना— के अस्थान जिला— दरभंगा	ड्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
17	मो0 जाकिर पिता— मो0 काशिम शाह ग्राम+पो0— मझौलिया थाना— अशोक पेपर मिल जिला— दरभंगा	ड्रामा एसीएल	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
			₹ 8,50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,50,000/- (आठ लाख पचास हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-38022630797 खाता धारक का नाम-सरार्फ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1458(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चेतन आनन्द पिता- आनन्द कुमार निमैयार ग्राम- केशोपुर कायस्था टोला नक्की जमालपुर पो0+थाना- जमालपुर जिला- मुंगेर	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
2	झुबरी देवी पति- जगरनाथ साह ग्राम- दरहा पिपरा पो0+थाना- कुर्साकाटा जिला- अररिया	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	दिलीप कुमार पिता- कर्मधारी महतो ग्राम- रतवारा हथु पो0- भागवतपुर भाया देवरिया थाना- पारु जिला- मुजफ्फरपुर	फंगस रोग Uncontrolled DM	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	रोशन ठाकुर पिता- साधु ठाकुर ग्राम+पो0- रेवान थाना- मसौढी जिला- पटना	गुर्दा प्रत्यारोपन	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	सदन राय पिता- स्व० मोती राय ग्राम- ब्रह्मपुर पूल पो०- छपरा थाना- भगवान बाजार जिला- सारण	बोथ नी रिप्लसेमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			6,60,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 6,60,000/- (छ लाख साठ हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०आई० ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत करे।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1459 (14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्ण नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रितिक कुमार पिता- राजीव कुमार ग्राम+पो०- रौन थाना- अलौली जिला- खगड़िया	ब्रेन सर्जरी	2,00,000	दो लाख स्वीकृत।
2	नेहा सिंह पिता- राजेश कुमार ग्राम+पो०- मुश्कीपुर थाना- तारापुर जिला- मुंगेर	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	सदक शकील पति- शब्बीर अहमद ग्राम- फ्रेड्स कॉलोनी कटरा स्कूल सुल्तानगंज पो०- महेन्द्र थाना- सुल्तानगंज जिला- पटना	Disectomy Laminectomy	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	नीलम देवी पति- स्व० निर्मल कुमार ग्राम- कुम्हार टोली लाल इमली पटना सिटी पो०- बेगमपुर थाना- चौक जिला- पटना	GB Stone	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	मो० शमीम पिता- मोहम्मद इसराइल ग्राम- बनगवन भट्टाबारी पो०- धरमगज थाना- पलासी जिला- अररिया	Surgery (LAP NEPHRECTOMY)	20,000	बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	कृष्णा कुमारी पति- कमलेश चंद्र ग्राम+पो०- बशडीह थाना- थरथरी जिला- नालदा	Endoscopic Sinus Surgery	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
7	मसूदन यादव पिता- स्व० लखन यादव ग्राम- घोरहरी पो०- गोसाईमठ थाना- चडी जिला- नालदा	ट्रामा	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
8	शकर प्रसाद पिता- उदित प्रसाद ग्राम- बैदराबाद मुरादपुर चौकी पो०- बैदराबाद थाना+जिला- अरवल	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
9	राजीव कुमार सिंह पिता- बलिराम सिंह ग्राम+पो०- सोनौली थाना- मशरक जिला- सारण	हृदय रोग सीएबीजी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
10	दया शकर वर्मा पिता- रजीत प्रसाद ग्राम- बजलपुरा वार्ड 12 पो०+थाना- तेघडा जिला- बेगूसराय	हृदय रोग सर्जरी पीपीआई	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			8,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रु० 8,40,000/- (आठ लाख चालीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की

राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1460(14)

पटना, दिनांक

30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई०-143
सारथ मलाही पकड़ी चौक
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.. .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुनीता वर्मा पति- सुजीत कुमार वर्मा ग्राम- बुद्ध नगर रोड न०- 2 चिरैयाटांड पो०- जी० पी० ओ० थाना- कंकड़बाग जिला- पटना	हृदय रोग पीपीआई	1,95,000	एक लाख पन्चानवे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,95,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,95,000/- (एक लाख पन्चानवे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं०/176417.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-50200037828274 खाता धारक का नाम-“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 146/14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176907 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
सर्वेश कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा0 आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सगीता देवी पति-विजय कुमार ग्राम-रामगढीया वार्ड 30 पो0-चौक आरा थाना-टाउन जिला- भोजपुर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	आशा देवी पति - रमेश कुमार यादव ग्राम- भज्जू बीघा पो0- काजी सारे थाना- काको जिला- जहानाबाद	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मनोरमा देवी पति- अलख देव प्रसाद ग्राम- महलपर खैराबाद पो0+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालदा	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	रूपेस कुमार पिता- धर्मदेव पोद्दार ग्राम- जमसर भगवानपुर पो0+थाना- लौकही जिला- मधुबनी	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मो० पप्पू पिता— अब्दुल रज्जाक ग्राम— बास कोठी पो०— दीघा घाट थाना— दीघा जिला— पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			3,30,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,30,000/- (तीन लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~196907~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— **440720110000498** खाता धारक का नाम— Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम— राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1462(14)

पटना, दिनांक

30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० ~~196907~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी. कैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
पालिका विनायक अस्पताल,
प्रा० लि०, बहादुरपुर फ्लाई ओवर
मेन रोड, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बेचनी देवी पति- राजेन्द्र साफी नवटोली पो०- नागवास थाना- अरेर जिला- मधुबनी	ड्रामा	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत।
2	हिरा देवी पति- महेंद्र साफी ग्राम- नवटोली पो०- नागवास थाना- अरेर जिला- मधुबनी	हेपेटाइटिस रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
			₹ 55,000	

- उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 55,000/- (पचपन हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 176707... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 33172933219 खाता धारक का नाम- पालिका विनायक अस्पताल, प्रा० लि०, खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम-11-29 Doctors Colony Kankarbagh Patna 20, RTGS/IFSC कोड स०- SBIN0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान

की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक, प्रमुख
पटना, दिनांक 30/5/2025
ज्ञापाक 1463(14)
प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।
प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01 /2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक .

विषय— मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मी देवी पति— रामसेवक राय ग्राम— नया पानापुर नवदियरी पो०— मानस थाना— दानापुर जिला— पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	शालिग्राम कुमार पिता— रूदी मडल ग्राम— भौरकाठ पो०— कोलवारा थाना— पसराहा जिला— खगडिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	कृष्णा कुमार पिता— मनीष कुमार ग्राम+पो०— रामपुर तिलक थाना— जानकी नगर जिला— पूर्णियाँ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	लखन यादव पिता— सत्यदेव यादव ग्राम+पो०— फुलवरिया थाना— किशनपुर जिला— सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	सजय कुमार गुप्ता पिता- जगदीश प्रसाद ग्राम- पुरानी बाजार महावीर स्थान लखीसराय पो0+थाना+जिला- लखीसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	कमानी देवी पति- ववन राय ग्राम- नवदियारी नियर स्कूल मानस दानापुर पो0- मानस थाना- दानापुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	मास्टर रितेश कुमार पिता- छोटे लाल ग्राम- बाघाकोल पो0- पतुत थाना- बिक्रम जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	फरहत परवीन पति- मो0 अमजद हुसैन ग्राम- चकनसीर पो0- सुक्की थाना- पातेपुर जिला- वैशाली	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	शबनम खातून पति- मो0 सलीम ग्राम- कटहरी पो0- मोहब्बा थाना- डडारी जिला- बेगूसराय	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	रेखा देवी पति- दीनानाथ केशरी ग्राम- बोधाचक पो0- मित्तनचक थाना- परसा बाजार जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	कमली देवी पति- राजेश्वर यादव ग्राम- नवकाटोल पो0- मिर्जापुर थाना- अशोक पेपर मिल जिला- दरभंगा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	सीता कुमारी पति- अविनाश कुमार ग्राम- चकमकई उर्फ मनका चक पो0- महीपुरा थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	सुधीर कुमार पिता- रामोतार यादव ग्राम- भोला बिगहा पो0- दोना थाना- हिसुआ जिला- नवादा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	प्रविला देवी पति- विजय राम ग्राम+पो0- देवन फतेहपुर थाना- खिजरसराय जिला- गया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	मधु कुमारी पति- गगाधर प्रसाद सिंह ग्राम- मुरली टोला पो0+थाना- उदाकिशुनगज जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	बेबी देवी पति- रामस्वर्थ महतो ग्राम+पो0- चन्दौना थाना- जाले जिला- दरभंगा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	खुशतुरी बेगम पति- मो0 मुस्ताक ग्राम- मेसौधा बनजरहा पो0+थाना- कुण्डवा चैनपुर जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
18	कृष्णा मुरारी प्रसाद पिता- गोपाल शरण राय ग्राम- नन्द गाव मेन रोड शेरुल्लापुर पो0+थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
19	मो0 वजीर पिता- मो0 इसमाईल ग्राम- छोटी कछुआ पो0- सुजापुर थाना- बरारी जिला- कटिहार	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
20	मोकिय दरजी पिता- महम्मद ग्राम+पो0- जोगिया थाना- रामनगर जिला- पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
21	हमीदा खातून पति- मैनुद्दीन मिया ग्राम+पो0- बहादुरपुर थाना- गोविन्दगज जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

22	आइशा प्रवीण पिता- मो0 अशरफ ग्राम- थवई वार्ड 41 पो0+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालदा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
23	बिंदु देवी पति- रणजीत कुमार द्विवेदी ग्राम- मिर्जापुर वार्ड 09 पो0- मिर्जापुर थाना- मढौरा जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	नारीजा खातून पिता- अब्दुल रज्जाक ग्राम- सिधिया वार्ड 13 पो0- दिल्ली दीवानगज थाना- अमदाबाद जिला- कटिहार	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
25	गीता देवी पति- अवधेश कुमार यादव ग्राम- बागरी टोला कदवा वार्ड 08 पो0- कदवा दियारा थाना- कदवा जिला- भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	राधा देवी पति- कृष्णा प्रसाद ग्राम- बीबीगज मैदा टोली वार्ड 18 पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
27	उमेश यादव पिता- मुसहर यादव ग्राम- खुदीबन वार्ड 09 पो0- पिरिबाजार जिला- लखीसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	श्यामा देवी पति- राम प्रताप सिंह ग्राम- पचगछिया पो0- सिरौली थाना- बथनाहा जिला- सीतामढ़ी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	मो0 शब्बीर अंसारी पिता- मो0 हासिम अंसारी ग्राम- बल्खी कटरा वार्ड 43 पो0- बिहार शरीफ थाना- लहेरी जिला- नालंदा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

30	खैरुज्जमा पिता- कपिलुद्दीन ग्राम- आजमगढ मडेल वार्ड 09 पो0+थाना- बायसी जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
31	बबली कुमारी पिता- सरोज राय ग्राम- हरिपुर वार्ड 14 पो0- अकोना थाना- सिन्धिया जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	सुलोचना देवी पति- गंगा प्रसाद साह ग्राम+पो0- चौनसिह पथ थाना- सुपौल जिला- सुपौल	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
33	शहनाज खातून पति- जहागीर ग्राम- बहादुरपुर वार्ड 05 पो0+थाना- गोरौल जिला- वैशाली	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
34	उर्मिला देवी पति- रामसिंघासन साव ग्राम- महुअरि बगीचा वार्ड 08 पो0- सराय थाना- मनेर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	भोला साह पिता- शकर साह ग्राम- पिपरा पो0+थाना- दरौदा जिला- सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	मीरा देवी पति- सुबोध कुमार सिंह ग्राम- जिहुली वार्ड 08 पो0- जिहुली थाना- पताही जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	जगरनाथ राम पिता- भिखारी राम ग्राम- बरमसिया वार्ड 085 पो0- कटिहार थाना- सहायक जिला- कटिहार	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	सजू कुमारी पति- शिव नारायण भगत ग्राम-131 पूरब बाजार नियर रेलवे ढला पो0+थाना+जिला- सहरसा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			27,20,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 27,20,000/- (सत्ताईस लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 ५

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176707 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैसर सेटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करे।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1464(14)

पटना, दिनांक

30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 176707 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एडं रिसर्च सेंटर

मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शारदा कुअर पिता— राजरन शर्मा ग्राम— भटोली परसौनी पो०— नौवाडीह थाना— पहाडपुर जिला— पूर्वी चम्पारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	किरण देवी पति— प्रेम साओ ग्राम— बडी बदलपुरा पो०+थाना— खगौल जिला— पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	एजाज आलम पिता— एहसानुल हक ग्राम— विजौल पो०— मधेपुर थाना— तेलता जिला— कटिहार	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	सुभाष कुमार पिता— मोहन प्रसाद ग्राम— अब्बुलास लेन मछुआ टोली पो०— बाकीपुर थाना— कदमकुंआ जिला— पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	शाईस्ता अफरोजा मल्लिक पति— नसीमुद्दीन मल्लिक ग्राम— मिन्नत मजिल अंडा गली पो०— बाकीपुर थाना— पीरबहोर जिला— पटना	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

6	मनराज मडल पिता- सुकदेव मडल ग्राम+पो0- पथरा थाना- बाराहाट जिला- बाका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	बिभन कुमार पिता- पुरन यादव ग्राम- महाराज घाट रोड पुराणी काली मंदिर के पास बडी खजरपुर पो0- बडी खजरपुर थाना- बरारी जिला- भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	रामप्रीत राय पिता- दोरिक राय ग्राम+पो0- हरपुर बरहेता थाना- सरायरजन जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	विदेश्वर राय पिता- स्व0 चरित्र राय ग्राम- योगीपुर ककरबाग पो0- लोहिया नगर थाना- पत्रकार नगर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	रामाधार चौधरी पिता- ईश्वर चंद्र चौधरी ग्राम+पो0- काटा कोष थाना- मनिहारी जिला- कटिहार	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	बीबी मजिदा पति- नसीम उद्दीन ग्राम- कटोरिया पो0- शोभानपुर कटोरिया थाना- अमरपुर जिला- बाका	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			7,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,70,000/- (सात लाख सत्तर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

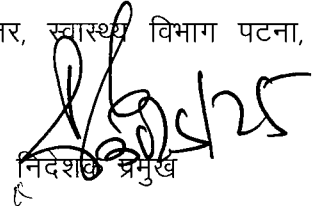
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1465 (14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196207 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दीपक कुमार पिता- स्व० बीरेन्द्र साह ग्राम- कालीबाग चौक वार्ड 3 पो०- बेतिया थाना- कालीबाग जिला- पश्चिम चम्पारण	ACL (Knee)	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1714354694 खाता धारक का नाम-"BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- कोटक महिन्द्रा बैंक, (गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं०- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक

ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1466 (14)

पटना, दिनांक 30/5/2021

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196707 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई डी० मैनेजर/स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

६

स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नीतिश कुमार पिता- अनुरुद्ध महतो ग्राम- बिनगामा पो0- जलालपुर थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर	ट्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	लीला देवी पति- अयोध्या प्रसाद ग्राम- जिरिया अमोलिन की गली पो0- झाऊगज थाना- खाजेकला जिला- पटना	ट्रामा सर्जरी	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	मालती देवी पति- राम जी राम ग्राम- कत्थक तल कोइरी टोला पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			2,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- **33569032861** खाता धारक का नाम- "ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **स्टेट बैंक आफ इण्डिया**, शाखा का नाम -**गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना** RTGS/IFSC कोड सं० **SBIN 0001496** में अंतरित किया जाता है।

९

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1467(14)

पटना, दिनांक 30/5/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं० 186907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एडं रिसर्च सेंटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक.....

विषय— मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रीना देवी पति— शत्रुगण पाडेय ग्राम+पो०— सरमस्तपुर थाना— पारु जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल न०— 19एफ2025/001330	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	कुनाल कुमार पिता— अमरेद्र सिंह ग्राम+पो०— ओलापुर गंगौर थाना— गंगौर जिला— खगडिया केस फाईल न०— सीवी/28670	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	गुजरी देवी पति— महेन्द्र साह ग्राम— डगरु पो०— चितरौली थाना— महुआ जिला— वैशाली केस फाईल न०— 19एफ2025/002058	कैंसर रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	मास्टर हिमाशु कुमार पिता— रजन कुमार ग्राम— कोन्हवा पो०— कररिया थाना— कोटवा जिला— पूर्वी चम्पारण केस फाईल न०— 19एफ2025/001740	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मास्टर राहुल कुमार पिता- रामबाबू सिंह ग्राम+पो0- मछही थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/001796	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	रेणु देवी पति- सियाराम यादव ग्राम- बखरी पो0- समदा थाना- सौरबाजार जिला- सहरसा केस फाईल न0- 11एफ2024/031450	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	मो0 अजीजुल पिता- मो0 नईम ग्राम- बिरमा मठ पो0- रजला थाना- बेलसर जिला- वैशाली केस फाईल न0- केई/82863	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	सतोष कुमार ठाकुर पिता- भाग्यनारान ठाकुर ग्राम- उचीडीह पो0- रामकरन पकडी थाना- पीपरा जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल नं0- 19एफ2025/001232	कैसर रोग	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
9	अमरिता कुमारी पिता- तुफानी राम ग्राम- चपरिया टोला रमपुरवा पो0+थाना- मैनाटांड जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025/001957	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	अनंदा देवी पति- स्व0 सुरेद्र सिंह ग्राम- कैथवलिया पो0- साखे खास थाना- उचकागाव जिला- गोपालगंज केस फाईल न0- केडी/80476	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	शांति देवी पति- महेद्र ठाकुर ग्राम+पो0- रजौरा थाना- मुफ्फसिल जिला- बेगूसराय केस फाईल न0- 19एफ2025/001481	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

12	उदय कुमार पिता- चरित्र राम यादव ग्राम- वृन्दावन पो0- किऊल आर एस थाना- किऊल जिला- लखीसराय केस फाईल न0- 11एफ2024/019621	कैसर रोग	55,000	पचपन हजार स्वीकृत।
13	मायरा परवीन पिता- मो0 मुस्तफा ग्राम- कोदरकट्टा पो0- बरजि थाना- मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2025/000340	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
14	रेशमा देवी पति- लालबाबू राय ग्राम- खपुरा पो0- खानपुर पकडी थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19 एफ 2025/001252	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
			9,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,35,000/- (नौ लाख पैतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176907द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हौस्पिटल, एंड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

५

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 14/8(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176207 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एशियन सिटी अस्पताल
पी० एम मॉल, पाटलीपुत्रा
इंडस्ट्रीयल ऐरिया
पटना 800013

पटना, दिनांक ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० इलियास पिता— नूरुल हसन ग्राम— गांधी गली दीघा घाट चौहट्टा पो०— दीघा घाट थाना— दीघा जिला— पटना	हृदय रोग Double Stent	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-020384600000324 खाता धारक का नाम BLUE SAPPHIRE HEALTH CARES PVT.LTD. Payable at Patna खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— YES BANK शाखा का नाम यश बैंक लि०, ग्राउंड फ्लोर ए-11/33 अलकार सिनेमा रोड, लाजपत नगर-II नई दिल्ली-110024 RTGS/IFSC कोड सं० YESB0000203 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत करे।
- 4 यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार

६

निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस करे।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1469(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं०.../196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध मे।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	नन्द किशोर प्रसाद पिता- रघुनाथ प्रसाद ग्राम- बाजार भिट्टी पो0- भिट्टी शहबुद्दीन थाना- बनियापुर जिला- सारण	हृदय रोग ADCI	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
2	परशुराम सिंह पिता- फागु सिंह ग्राम- कटौली पो0- रूस्तमपुर थाना- हुलासगज जिला- जहानाबाद	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			3,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,35,000/- (तीन लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC0000477 मे अंतरित किया जाता है।

४

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलाकर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करे।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस करे।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1470(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक . . .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है –

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुवासनी देवी पति- स्व० अरविंद सिंह ग्राम+पो०- माहुरी थाना+जिला- नालदा	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	कृष्णा देवी पति- राम विलास सिंह ग्राम- जवाहरपुर वार्ड 10 पो०- कोनैला थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	प्रियंका कुमारी पति- बबलू राय ग्राम- जामीनपुर वार्ड 16 पो०- परसा थाना- डेरनी जिला- सारण	हृदय रोग एमबीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
4	जीवेश्वर झा पिता- गंगाधर झा ग्राम+पो०- गजहरा थाना- लदनियाँ जिला- मधुबनी	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	रेशमी खातून पति- मो० असगर कुरैशी ग्राम- आई टी आई संगम कॉलोनी वार्ड 22 पो०- दीघा घाट थाना- दीघा जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	रुखसाना खातुन पति-सलीम मिया ग्राम-भटवा टोल वार्ड 11 पो-सुगौली थाना-सुगौली जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग ए0 एस0डी0 सर्जिकल क्लोजर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			6,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,70,000/- (छः लाख सत्तर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0- 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1471(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025-

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि चेक सं0 196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
Mediversal Maatri Mother,
Child & General Hospital,
Road No 2B, Rajendra Nagar,
Patna - 800016

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शशिबाला पति- अमीत कुमार गुप्ता ग्राम+पो0- कर्मनाशा थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	GYNAE SURGERY	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			50,000 / -	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 5700001541750 खाता धारक का नाम- "Mediversal Health Care Pvt. Ltd खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- HDFC BANK, शाखा का नाम- Krishnayan, Near Police Check post, Boring Road, Patna 800001, RTGS/IFSC कोड स0- HDFC0000235 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री

चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० पी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

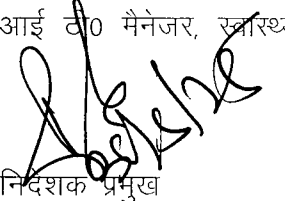
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1473(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
२

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
Vista Hospital,
1/1103 Near Patna Central School,
Bypass Road, Jaganpura,
Patna- 800027

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अरविन्द राय पिता- राम स्वस्थ राय ग्राम- गनियारी पो०- भटौलिया थाना- देसरी जिला- वैशाली	ट्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
			65,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 65,000/- (पैंसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196807 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 120031898022 खाता धारक का नाम- Vista Hospital Pvt. Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- Canara Bank, शाखा का नाम- Patna Central School, Jaganpura, RTGS/IFSC कोड सं०- CNRB0017435 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

५

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1474 (14)

पटना, दिनांक

30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

Dr Prabhat Memorial Hiramati Hospital,
Plot No 106/107-B, Road No.
(Near Dinkar Golamber) Rajendra Nagar,
Patna 800016

पटना, दिनांक ...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रमन राज पिता— अजनी कुमार सिंह ग्राम— नया टोला अग्रैल पो०— चम्पापुर थाना— बलिगाव जिला— वैशाली	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	माही कुमारी पिता— राजू कुमार ग्राम— भिखाचक नहर पर पो०— अनीसाबाद थाना— गर्दनीबाग जिला— पटना	Left Simple Nephrectomy	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 15570210003107 खाता धारक का नाम— **A Unit of Caring Hands Healthcare Pvt. Ltd.**, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— **UCO Bank**, शाखा का नाम— **Kankarbagh Patna**, RTGS/IFSC कोड सं०— **UCBA0001557** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान

1

की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

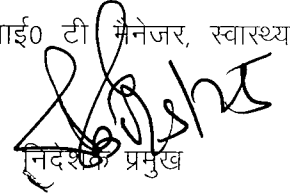
1475-14)

पटना, दिनांक

30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बी०एस०एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न०-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	सीता देवी पति- सुदर्शन राय ग्राम+पो०- अकिलपुर थाना- दानापुर जिला- पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	रामेश्वर प्रसाद पिता- भगवान दास ग्राम- पैजावा पर पो०+थाना- बाढ जिला- पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000/- (बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176707 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं० UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की

राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करे।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करे।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1476 (14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

२

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
शेखर आई केयर एड लेजर सेटर
राजीव नगर रोड न०-०,
नाला पर आशियाना
पाटलीपुत्रा मार्ग केसरी नगर
पटना-800024

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- **21.05.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	फुलझरिया देवी पति-वासुदेव राय ग्राम-छिहतर पो०+थाना-मनेर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	श्रीनाथ राय पिता गंगा सागर राय ग्राम-नकटा दियारा पोस्ट+थाना-दीघा जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	शांति देवी पति-तिजु गोसाई ग्राम-बालुपर पो०+थाना-मनेर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	भगवान साव पिता-देव प्रसाद साव ग्राम-बदल टोला हल्दी छपरा पोस्ट+थाना-मनेर जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	देवती देवी पति-नरेश साव ग्राम-दाउतपुर दानापुर पो०-शाहपुर थाना-शाहपुर जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	शिवझारो देवी पति-सभापति सिंह ग्राम-छिहतर पोस्ट+थाना-मनेर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	मदन साव पिता-जानकी साव ग्राम-बादीपुर पो0-चिरौरा थाना-नौबतपुर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	चन्देश्वरी देवी पति-रामजामा राय ग्राम+पो0-माधोपुर थाना-शाहपुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	धनजय कुमार पिता-रविन्द्र कात ग्राम चेसी पो0-चेसी थाना-नौबतपुर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	शिवनाथ सिंह पिता-रामचद्र सिंह ग्राम-नोनीयाचक पोस्ट-दौलतपुर थाना-भगवानगज जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	सुरेश राय पिता-लीला राय ग्राम-सुअरमरवा पश्चिम पो0-पतीला थाना-मनेर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	सोना देवी पति-स्व0 नन्हक राय ग्राम+पो0-शेरपुर थाना-मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
13	लक्ष्मीनीया देवी पति-सोहराई माझी ग्राम-नेउरा पो0+थाना-नेउरा जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
14	राजमती देवी पति-महावीर राय ग्राम-सुअर मारवा पो0-पतीला थाना-मनेर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

15	शम्भु पासवान पिता राम गृही पासवान ग्राम-सादिकपुर पो0-सादिकपुर थाना मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	रजीत कुमार पिता चन्द्रदेव प्रसाद ग्राम-लोदीपुर पो0-चिरौरा थाना जानीपुर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	लालमतिया देवी पति-देवेन्द्र राय ग्राम-एक्स0 टी0टी0 आई मरियम कोलनी पोस्ट+थाना-दीघा जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	विश्वनाथ राय पिता-मोसदी राय ग्राम-छिहतर पो0-मनेर थाना-मनेर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	सगम राय पिता-विश्वनाथ राय ग्राम-टाटा कोलनी पो0+थाना-मनेर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	द्वारिका पासवान पिता-सीता राम पासवान ग्राम-पो0-सराय थाना मनेर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
21	अनीता देवी पति-लाल साहब पाण्डेय ग्राम-सुअरमारवा पो0-पतीला थाना-मनेर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
22	ओम प्रकाश साव पिता-जगनारायण साव ग्राम-दुधैला मनेर पो0+थाना-मनेर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
23	बुची देवी पति-कुसाहेब राय ग्राम-छिहतर पोस्ट+थाना-मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

24	सोनवा देवी पति—राम आधार राय ग्राम+पो0—शेरपुर थाना—मनेर जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			2,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 291311100000760 खाता धारक का नाम- SHEKHAR EYE CARE AND LASER CENTRE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- UNION BANK OF INDIA, शाखा का नाम- BAILEY ROAD. RTGS/IFSC कोड सं0- UBIN0829137 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करे।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1477(14)

पटना, दिनांक

30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	सोहरान बैठा पिता- वृक्ष बैठा ग्राम- सिकदरपुर पो०- दतियाना थाना- आईआईटी बिहटा जिला- पटना	नेत्र रोग	5,000	पाँच हजार स्वीकृत।
2	बलिराम प्रसाद वर्मा पिता- शिव कुमार प्रसाद वर्मा ग्राम+पो०+थाना- ब्रह्मपुर जिला- बक्सर	रेटिना रोग	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	दिनेश शर्मा पिता- सुरेन्द्र सिंह ग्राम- सिकदरपुर पो०- दतियाना थाना- आईआईटी जिला- पटना	नेत्र रोग	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	नागवशी राम पिता- समुद्र राम ग्राम- सिकदरपुर पो०- दतियाना थाना- आईआईटी जिला- पटना	नेत्र रोग	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	महेश प्रसाद पिता- देनी राम ग्राम- शिवगढ पो०- दतियाना थाना- बिक्रम जिला- पटना	नेत्र रोग	5,000	पाँच हजार स्वीकृत।

6	अनीता देवी पति— अजय राम ग्राम— शिवगढ पो0— दतियाना थाना— बिक्रम जिला— पटना	नेत्र रोग	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			50,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 333905000940 खाता धारक का नाम—Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1478(14)

पटना, दिनांक

30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
श्री साईं लायन्स नेत्रालय
बी0/144, पी0सी0 कालोनी
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गिरजा सिंह पिता-विन्देश्वर सिंह ग्राम-डैडीह पो0-कुर्रे थाना-घोषी जिला-जहानाबाद	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	कान्ति देवी पति/पिता-विदा माझी ग्राम-छतियाना पो0-मखदुमपुर थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	शीला देवी पति-दीनानाथ चौधरी ग्राम-सादीकपुर मछुआ टोली पो0-गुलजारबाग थाना-आलमगज जिला पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	कचन माला पति-सुरेन्द्र प्रसाद ग्राम-सहदरा रामधनी रोड पटना सिटी, पो0-माधव मिल्स थाना मालसलामी जिला पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	राम उदय शर्मा पिता-कामता शर्मा ग्राम+पो0-मेन थाना-मेन जिला गया	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	प्रमोद कुमार पिता-सकलदीप शर्मा ग्राम-चैनपुरा पो0-रतनीपुर थाना-शकुराबाद जिला जहानाबाद	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	सरोज देवी पिता- प्रमोद कुमार ग्राम-चैनपुरा पो0-शकुराबाद थाना-शकुराबाद जिला जहानाबाद	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 70,000 / -	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 70,000 / - (सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~196907~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0-**442320110000316** खाता धारक का नाम SRI SAI LIONS NETRALAYA खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया शाखा का नाम- ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004423 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1480(14)

पटना, दिनांक

30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं0 ~~196907~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सो 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
वेदान्ता सेटर फार अप्थैलमिक साईंस,
II Floor लीजेन्ड प्लाजा,
नीयर पासपोर्ट आफिस
आशियाना दीघा रोड,
पटना -800014

पटना, दिनांक-

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आसमा खातुन पति-अली रजा ग्राम-बेता पो०-दरभंगा मेडिकल कालेज थाना-लहेरिया सराय जिला दरभंगा	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	मो० अली रजा पिता-स्व० अली हसन ग्राम-बेता पो०-दरभंगा मेडिकल कालेज थाना-लहेरिया सराय जिला दरभंगा	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	फैज अहमद पिता-अब्बास असारी ग्राम-कादिरगंज पो०-ऐनखॉ थाना-दुल्हिन बाजार जिला पटना	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	अनिता देवी पति-छबीला पासवान ग्राम-राष्ट्रीय गंज फुलवारी शरीफ पो०-फुलवारीशरीफ थाना-फुलवारी जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	मो० अकबर पिता-मो० कासीम ग्राम-राजा बाजार पो०-बी० भी० कालेज थाना-एयरपोर्ट जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत
6	शबनम खातुन पति-मुस्ताक आलम ग्राम-खान मिर्जा उर्दु स्कूल पो०-महेन्द्र थाना-सुल्तानगज जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	उर्मिला देवी पति-शत्रुघ्न पासवान ग्राम-राष्ट्रीय गज फुलवारी शरीफ पो०-फुलवारीशरीफ थाना-फुलवारी जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	श्याम चौधरी पिता-स्व० सोमारू चौधरी ग्राम-नजदीक हनुमान मंदिर खलीलपुरा पो०-फुलवारीशरीफ थाना फुलवारी जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	पिकी देवी पति-बालेश्वर नाथ मिश्रा ग्राम+पो०-केशोपुर थाना-सिमरी जिला-बक्सर	CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	नेयाज अहमद राईन पिता-मुख्तार अहमद ग्राम-बिहाइड दनिश अपार्टमेंट समनपुरा राजा बाजार पो०-बी० भी० कालेज थाना-शास्त्री नगर जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	नुरेशा खातुन पति-स्व० मो० खालिद ग्राम-ताज नगर नोहसा फुलवारीशरीफ पो०-फुलवारीशरीफ थाना-फुलवारी जिला पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	शमशेर असारी पिता-स्व० मो० अलीम असारी ग्राम-नया टोला पठान टोली गली पो०-फुलवारीशरीफ थाना-फुलवारी जिला पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

13	शिव कुमारी देवी पति-स्व० अवध बिहारी प्रसाद ग्राम+पो०-रघुनाथपुर थाना-ब्रह्मपुर जिला-बक्सर	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	फिरोज आलम पिता-मोहम्मद गनौरी ग्राम-बिजौरा पो०-मोकर थाना-भगवानगज जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440030110000048 खाता धारक का नाम-"वेदान्ता सेटर फार अपथैलमिक सर्जिस" खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-पटना मेन ब्रांच, फ्रेजर रोड, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0004400 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें। इसे अत्यावश्यक समझा जाय। एक रोगी को एक ही बार प्राक्कलन निर्गत किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस करें।
इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1481(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी
पटना 801105

पटना, दिनांक ...

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आशा देवी पति— उज्जवल प्रसाद ग्राम— माल गली पो०— बी० भी० कॉलेज थाना— शास्त्रीनगर जिला— पटना	LE Catract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 17.6907... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 50200021671321 खाता धारक का नाम— BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— HDFC BANK, शाखा का नाम— Patliputra Branch, Kurji (Patna), RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0002643 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि

मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें।
मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

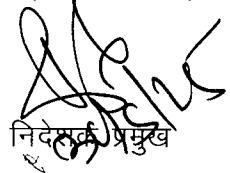
ज्ञापाक 1482(14)

पटना, दिनांक

30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176707 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख



स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
दिव्य दृष्टि आई सेंटर,
एस0बी0आई कालोनी
मंगल मार्केट, शेखपुरा,
पटना 800014 ।

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 21 05 2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नीलम देवी पति- जगत लाल ग्राम- खेदलपुरा पो0+थाना- बिहटा जिला- पटना	Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 10,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 32878907331, खाता धारक का नाम- 'दिव्य दृष्टि आई सेंटर प्रा० लि०' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम-आई०जी०आई०एम०एस०, पटना, RTGS/IFSC कोड स० SBIN0007945 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।

५

1

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

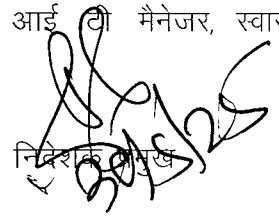
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1483(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

सार्प साईट आई० हौस्पिटल,

आध्या हाईट आशियाना मोड,

आशियाना दीघा रोड,

पटना 800025

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रजिया बेगम पति— मो० अशरफ ग्राम— ह० न०— 965 एफ सी आई रोड मदर्स इंटरनेशनल विधालय पो०— फुलवारी शरीफ थाना— फुलवारी जिला— पटना	Cataract + Retina Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 10,000 /—	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000 /— (दस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 19.69.7 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 50200043954418 खाता धारक का नाम— 'SHARP SIGHT CENTER EAST U/O SSL CP LTD' खाते का प्रकार— बैंक का नाम— HDFC Bank PVT LTD, शाखा का नाम— LAXMI NAGAR DIST CENTER VIKASH MARG, NEW DELHI - 110092, RTGS/IFSC कोड स० HDFC0000120 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

८

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1484(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196707... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

६

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Bright Sight Eye Hospital,
26B Saket, 2nd Floor,
Beside Disha Deaddiction Centre,
Patliputra Colony, Patna - 800013

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुनील कुमार पिता- सुरेन्द्र प्रसाद ग्राम- गोपालगंज पो0+थाना- घोषी जिला- जहानाबाद	Cataract Surgery with iol implantation	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 15,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,000/- (पन्द्रह हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 186907 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०- **18940210000786** खाता धारक का नाम- 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL PVT. LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- UCO BANK, KURJEE, PATNA, शाखा का नाम- KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड स० UCBA0001894 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- 'मुख्यमंत्री

विकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

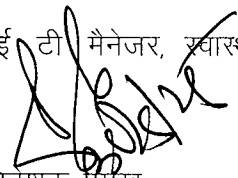
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1485(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196907 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
सुदेश कुमार राम
पिता- राम लाल राम
ग्राम+पो०- डुमरी बुजुर्ग
थाना- नयागाव
जिला- सारण
पिनकोड- 841217

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुदेश कुमार राम पिता- राम लाल राम ग्राम+पो०- डुमरी बुजुर्ग थाना- नयागाव जिला- सारण पिनकोड- 841217	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 11751783176, खाता धारक का नाम- SUDESH KUMAR RAM, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- PGIMER CHANDIGARH, कोड सं०- SBIN0001524 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

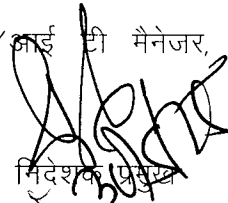
विश्वासभाजन
ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1505(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० . की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक (प्रमुख)

Branch: PGIMER CHANDIGARH
SECTOR 12.

Cod#: 1571

Email: SBI.01524@SBI.CO.IN

Phone No.: 4979517

IFSC: SBIN0001524

Bus. Hrs: 10:00:00-16:00:

MICR: 160002007

Name: SUDESH KUMAR RAM

/D/H/o : RAM LAL RAM

IF Number : 81437296259

Account No.: 11751783176

/o Type : SAVINGS BANK ACCOUNT

Address : S/O-RAMLAL RAM

VILL PO- DUMARI BUZURG
SARAN

Phone No. :

mail :

N.O.B.(If Minor):

MOP: SINGLE

A/c Opening Dt: 08/06/200

Mem Pag No:

Customer's PAN: CPZPR5052

Date of Issue 29/04/2025

CONTINUATION



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
इन्द्रदेव यादव
पिता— नारायण यादव
ग्राम— हुसैनचक पो०— महखार
थाना— सिमरीबख्तियारपुर
जिला— सहरसा
पिनकोड— 852127

पटना, दिनांक..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इन्द्रदेव यादव पिता— नारायण यादव ग्राम— हुसैनचक पो०— महखार थाना— सिमरीबख्तियारपुर जिला— सहरसा पिनकोड— 852127	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या— 213(14), दिनांक— 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 /—	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /— (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०— 11681172177, खाता धारक का नाम— INDRA DEO YADAV, खाते का प्रकार— बचक खाता, बैंक का नाम— STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम— SIMRI BAKHTIARPUR, कोड सं०— SBIN0003006 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन
ह० /—
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1506(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स०... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्रमुख
30/5/25

सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

- ♦ अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, एवं विशेष चिन्ह (Special Characters) का उपयोग कर उसे मजबूत और जटिल रखें।
- ♦ अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड क्रमांक, सीवीवी, पिन, आदि किसी के साथ साझा ना करें।
- ♦ अनजान प्रेषकों द्वारा आने वाले एसएमएस / ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स से प्राप्त होने वाली लिंक्स पर क्लिक ना करें।
- ♦ अनजान व्यक्तियों की सलाह पर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें।
- ♦ एसबीआई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा SBI या SB संक्षिप्त कोड के साथ ही आएं। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI

सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:

1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

Tips for Secure Banking

- ♦ Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- ♦ Do not share your Password, OTP, Card number, CVV, PIN, etc. with anyone.
- ♦ Do not click on links from unknown senders or on social media.
- ♦ Do not install any app from unknown sources.
- ♦ SMS sent by SBI will have 'SBI' only. e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.



Call our helpline number for assistance.

1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

SBI

Branch: SIMET BAKHTIARPUR
SIMET BAKHTIARPUR

Branch: SIMET BAKHTIARPUR
Phone No.: 011-2476343
IFSC: SBIN00111109

Name: INDIRA DEVI YADAV

Address: NARAYAN YADAV

Account No.: 1379742007

Branch: 11-31172177

Account Type: REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT

Address: HILL-HUSSAIN BAKHS-BAKHTIARPUR

SIMET-BAKHTIARPUR SAHARSA

Phone No.: 0

Address:

O.B. (If Minor):

Phone No.: 011-2476343
IFSC: SBIN00111109

Phone No.: 011-2476343
IFSC: SBIN00111109

Phone No.: 011-2476343
IFSC: SBIN00111109



BRANCH MANAGER

स0 स0 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

ओम प्रकाश कुमार
पिता- राजाराम साह
ग्राम+पो०- रामनगर
थाना- पिपरा
जिला- सुपौल
पिनकोड- 852108

पटना, दिनांक... ..

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ओम प्रकाश कुमार पिता- राजाराम साह ग्राम+पो०- रामनगर थाना- पिपरा जिला- सुपौल पिनकोड- 852108	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय संकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 3149101010039, खाता धारक का नाम- OM PRAKASH KUMAR, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- CANARA BANK, शाखा का नाम- SUPAUL, कोड स०- CNRB0003149 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1507(14)

पटना, दिनाक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0... . की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्रमुख
२

केनरा बैंक



Canara Bank

NAME AND ADDRESS OF BRANCH:

SUPAUL
CANARA BANK
CANARA BANK FIRST FLOOR, WARD NO. 10
STATION ROAD,
SUPAUL

BIHAR-852101 CNRB0003149
IFSC Code: CNRB003149 MICR Code: 852015102
Tel. No. 274900123 Fax No.
Email ID: cnrb003149@canarabank.com

Contact details of Banking Ombudsman:

The Banking Ombudsman
C/o. RBI
Patna

Patna-800001
Tel. No. 0066/0000
Fax No. 0 Email ID: boperna.rbi.org.in

NAME:

OM PRAKASH KUMAR

to 3149101010039

Occupation:

MIGRANT LABOURER

Address:

SOPAJARAM SAH WARD NO. 10 (1) PAVINAGAR-352015 (BIHAR-852101)
PAVINAGAR-352015 (BIHAR-852101)
PIN, ZIP number: 852101

Customer ID: 310828060

D.O.B: 1-JAN-2000

A/C Operated On

15-JAN-2021

Mode of Operation N/A

PB Issued Date: 15-JAN-2021

Mobile: 91611768684

Email:

PAN NO: JHVPK0433E

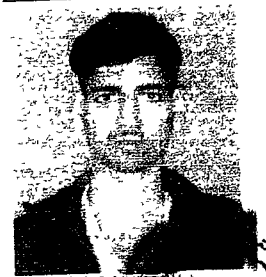
KYC Identifier

Nominee Recd N/A

PPON N/A

Nominee Name

Nominee Recd N/A



खाता संख्या - 3149101010039

IFSC code - CNRB0003149

केनरा बैंक ब्रांच, सुपौल

Om Prakash Kumar

19/05/25

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
सूरज कुमार
पिता- विद्या नन्द प्रसाद
ग्राम- बीबीगज भट्टा रोड पचवटी नगर दानापुर
पो०+थाना- दानापुर
जिला- पटना
पिनकोड- 801503

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक **21.05.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सूरज कुमार पिता- विद्या नन्द प्रसाद ग्राम- बीबीगज भट्टा रोड पचवटी नगर दानापुर पो०+थाना- दानापुर जिला- पटना पिनकोड- 801503	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- **41969647292**, खाता धारक का नाम- **SURAJ KUMAR**, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- **STATE BANK OF INDIA**, शाखा का नाम- **GOLA ROAD, PATNA**, कोड सं०- **SBIN0017469** में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन
ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1508(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, स्वास्थ्य

सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

Tips for Secure Banking

- ◆ अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, एवं विशेष चिह्न (Special Characters) का उपयोग कर उसे मज़बूत और जटिल रखें।
- ◆ अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड क्रमांक, सीवीवी, पिन, आदि किसी के साथ साझा न करें।
- ◆ अनजान प्रेषकों द्वारा आने वाले एसएमएस / ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स से प्राप्त होने वाली लिंक्स पर क्लिक न करें।
- ◆ अनजान व्यक्तियों की सलाह पर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल न करें।
- ◆ एसबीआई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा SBI या SB संक्षिप्त कोड के साथ ही आएं। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI

- ◆ Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- ◆ Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.
- ◆ Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- ◆ Do not install any application on the advice of strangers.
- ◆ SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI, SB" only e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

Call our helpline number for assistance:
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930.
For more information visit: <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

Branch: GOLA ROAD, PATNA Code: 17469
NEAR GURUKUL SCHOOL, MAIN GOLA ROAD

Email: SBI.17469@SBI.CO.IN
Phone No.: 9955997711
IFSC: SBIN0017469

Buss. Hrs: 10:00:00-16:00:00
MICR: 800002081

Name: Mr. Suraj Kumar

S/D/H/o : VIDIYA NAND PRASAD

CIF Number : 91215508730

Account No. : 41969647292

A/c Type: REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT

Address: S/O Vidiya Nand Prasad, Bhatta Road pan
Shivaji Nagar, ward no 18
Dinabari-Cum-Khagaui

Phone No.

Email

D.O.B. (If Minor):

MOP: SINGLE

A/c Opening Dt: 03/06/2023

Nom Reg No:

Customer's PAN: CPOPK5915B

Date of Issue: 28/08/2024

CONTINUATION



स0 स0 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अरुण राय
पिता- रामदेव पत्तर राय
ग्राम- रचियाही कचहरी टोला
पो0- रचियाही थाना- मुफसिल
जिला- बेगूसराय
पिनकोड- 851134

पटना, दिनांक ..

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक **21.05.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अरुण राय पिता- रामदेव पत्तर राय ग्राम- रचियाही कचहरी टोला पो0- रचियाही थाना- मुफसिल जिला- बेगूसराय पिनकोड- 851134	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु0 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स0- 31316402410, खाता धारक का नाम- ARUN RAY, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- BARAUNI REFINERY TOWNSHIP, कोड स0- SBIN0003589 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन
ह0/-
(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1509 (14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 . . . की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
नितीश कुमार
पिता- शिव राय
ग्राम- रिकाबगज पटना सिटी
पो०- पटना सिटी थाना- मालसलामी
जिला- पटना
पिनकोड- 800008

पटना, दिनांक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक **21.05.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नितीश कुमार पिता- शिव राय ग्राम- रिकाबगज पटना सिटी पो०- पटना सिटी थाना- मालसलामी जिला- पटना पिनकोड- 800008	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01 2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 110132109839, खाता धारक का नाम- **NITISH KUMAR**, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- **CANARA BANK**, शाखा का नाम- **ASHOK RAJPATH, HAJIGANJ**, कोड स०- **CNRB0017434** में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन
ह० / -
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 15/0(14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स०. .. की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

केनरा बैंक



Canara Bank

NAME AND ADDRESS OF BRANCH:

NAME AND ADDRESS OF BRANCH:

CANARA BANK

ASHOK RAJPATH, HAJIGANI

PATNA

BIHAR-800008

IFSC Code: CNRB0017434 NEFT Code: 800015046

Tel No. 0 Fax No.

Email ID: cb17434@canarabank.com

Foreign Exchange/SWIFT Code: CNRBIN33

Contact details of Banking Ombudsman:

Contact details of Banking Ombudsman:

Centralized Receipt and Processing Centre (CRPC)

Office of Banking Ombudsman

Reserve Bank of India

4th Floor Central Vista, Sector-17

CHANDIGARH-160017

Toll Free No. 14448

Fax No.

Online Complaint Registration Portal: <https://cms>

ACCOUNT DETAILS

Account No. 110102109839

DATE

DATE

Occupation

Occupation

Address

C O SHRI RAVI SHANKAR NAUHA

DIST. BATHINDA, PIN-151001, INDIA

PIN/ZIP CODE: 151001

Customer ID: 319291300

DOB: 01/01/1992

A/C Opening Date

A/C Opening Date

Mode of Operation: Self

Pass Book No. 110102109839

Mobile No. 9800000000

Pin Code: 151001

Signature: 110102109839

A/C No. 110102109839

Signature: 110102109839

Signature: 110102109839

Signature: 110102109839

Signature: 110102109839

केनरा बैंक For Canara Bank

अधिकारी / प्रबंधक Officer / Manager

स0 स0 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

जितेन्द्र कुमार यादव
पिता- अबधेश यादव
ग्राम- भमेठ
पो0- श्रीपुर
थाना- भवानीपुर
जिला- पूर्णियाँ
पिनकोड- 854205

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जितेन्द्र कुमार यादव पिता- अबधेश यादव ग्राम- भमेठ पो0- श्रीपुर थाना- भवानीपुर जिला- पूर्णियाँ पिनकोड- 854205	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30 01 2024 के आलोक में)
			रु0 1,08,000 /-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /-(एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं0- 35367937718, खाता धारक का नाम- JITENDRA KUMAR YADAV, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- SONDEEP, कोड सं0- SBIN0007094 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 15/11/14)

पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

Generally used abbreviations

Account	dep = Deposit	Pr = Principal
aj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amt = Amount	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	DR = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capitalization	eft = Electrc	sb = Savings Bank
chg/ch = Charge	Inop = Inope	SC = Short Credit
chq = Cheque	ins = Insurai	SI/So/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	int/in = Inter	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of
coll = Collection	lon/ln = Loan	intrf/xfer = Transfer
comm = Commission	min = Minim	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstan	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csn = Cash	Pos = Point of sale	+MOD bal = total balance (SB+linked MOD a/c)



भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India

Savings Bank Account
 CIF No : 88785262300
 Account No : 35367937718
 Customer Name: Mr. JITENDRA KUMAR YADAV

SONDEEP
 AT + PO-SONDEEP

S/D/W/H/o: ABDHESH YADAV
 Address: S/O ABDHESH YADAV
 AT-BHAMETH, PO-SHRIPUR
 PS-BHAWANIPUR

Phone: 267223
 Email: sbi.07094@sbi.co.in
 Branch Code: 7094
 Date of Issue: 30/11/2015
 30/11/2015 663782 7094
 IFSC: SBIN0007094

Phone:
 Email:
 D.O.B. (If Minor):
 MOP.: SINGLE FIRST
 Nom. Rep. No.:

HELPLINE : 1800-11-22-11 1800-425-3800

Branch Manager

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
रविरजन कुमार
पिता- राकेश कुमार रजन
ग्राम- उमैराबाद
पो०- बैदराबाद
थाना+जिला- अरवल
पिनकोड- 804402

पटना, दिनांक...

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 21.05.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रविरजन कुमार पिता- राकेश कुमार रजन ग्राम- उमैराबाद पो०- बैदराबाद थाना+जिला- अरवल पिनकोड- 804402	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01 2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 4484000100153905, खाता धारक का नाम- RAVIRANJAN KUMAR, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- PUNJAB NATIONAL BANK, शाखा का नाम- ARWAL, कोड सं०- PUNB0448400 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

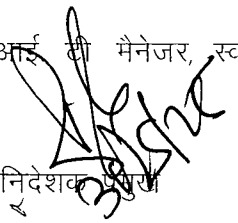
विश्वासभाजन
ह०/-
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1512(14)

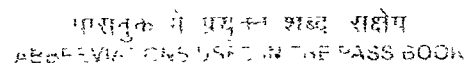
पटना, दिनांक 30/5/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 की कुल राशि का अन्तरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रेषण

पंजाब नैशनल बैंक  **punjab national bank**
...परतरे का बँक ! ...the name you can BANK upon !

[illegible]

बचत बैंक खाते के साथ अपने आधार नम्बर का एम्पेच आधार नम्बर की एव सत्यापित प्रॉग एव मोबाइल नम्बर प्रस्तुत कर।

Link your Aadhar Number with SB Account
Submit self-confirmed copy of Aadhar Card and Mobile Number

प्राधिकारी अधिकारी / प्रबंधक / Authorised Official/Manager

[illegible]

Computer generated entries shown in the statement of account do not require any authentication/signature from bank official. Please do not accept any manual entry in your computer generated Pass Book/Statement of account.

Product/Service	Unit	Price/Rate
1. Basic Service	Hour	\$100.00
2. Premium Support	Hour	\$150.00
3. Consulting	Hour	\$200.00
4. Training	Session	\$500.00
5. Hardware	Unit	\$1,000.00
6. Software	License	\$2,000.00
7. Cloud Storage	GB	\$0.10
8. Network Setup	Project	\$300.00
9. IT Support	Hour	\$75.00
10. Data Backup	Month	\$120.00
11. Security Audit	Project	\$400.00
12. Disaster Recovery	Project	\$600.00
13. Hardware Maintenance	Year	\$150.00
14. Software Updates	Year	\$100.00
15. Network Monitoring	Month	\$80.00
16. Cloud Migration	Project	\$500.00
17. Data Migration	Project	\$300.00
18. System Integration	Project	\$450.00
19. IT Policy Development	Project	\$200.00
20. IT Training	Hour	\$120.00

1. Address	2. Name	3. Name
------------	---------	---------

Account Holder-1 Account Holder-2 Address A

सैंक ग्राहक के पैसों को राजस्व अथवा भुगतान करने के लिए पिछले दिन के षोषो तथा
अन्य सञ्चालन प्रणाली पर डालने के द्वारा आसानी से प्रविष्टि को अध्ययन रखेगा।

[illegible]

कृपया ध्यान दें न मोड़ें PLEASE DO NOT FOLD THE PASS BOOK

१. प्रो. वि. शास्त्र के लिए सी. ए. सेवानुसंधान सं. २०३८/२०२२-२३/४०३६